लेखे एक नज़र में 2022-23

विषय सूची

भूमिका	3
विहंगावलोकन	4
बजट की तुलना में वास्तविक राशियों का विश्लेषण	10
वित्तीय विवरण	14
प्राप्तियां	17
व्यय	21
ऋण और अन्य देयताएं	24
विनियोग लेखे	29
शब्दावली	33
परिशिष्ट	39
1. दस वर्षीय सारांश	40
2. करेतर राजस्व संबंधी विवरण	42
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों संबंधी विवरण	43
4. मुख्य स्कीमों पर व्यय	44
5. मुख्य मदों पर राजस्व-पूंजीगत वार व्यय	46
6. वेतन और भत्तों का व्यय	48
7. सहायिकियों का विवरण	56
8. मंत्रालयों/विभागों का व्यय	59
9. ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्यौरा	74
10. ₹100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग	75
11. 2022-23 के लिए विनियोग लेखा सारांश	81
12. वर्ष 2022-23 के लिए वस्तु शीर्षवार व्यय	90

लेखे एक नज़र में 2022-23

भूमिका

'लेखे एक नज़र में' संघ सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के अनुमान और वास्तविक राशियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं, बचतों और आरक्षित राशियों, निवेशों, विनिवेशों, ऋण और घाटे जैसी वित्तीय सूचना का वृहत विहंगावलोकन पाठक-सुलभ रूप में संक्षिप्त विश्लेषण और ग्राफों द्वारा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा लेखापरीक्षित ब्योरे-वार वित्तीय सूचना वित्त लेखे और विनियोग लेखे में उपलब्ध कराई जाती है।

महालेखा नियंत्रक संघ सरकार के लेखों के समेकन के लिए जिम्मेदार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत संघ सरकार के वार्षिक लेखे जिनमें संघ के वित्त और विनियोग लेखे शामिल होते हैं, उन्हें संसद के समक्ष उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

संघ वित्त लेखों में भारत सरकार के सिविल और गैर-सिविल मंत्रलयों/विभागों के लेन-देन और शेष समेकित होते हैं। इनमें भारत की समेकित निधि एवं लोक लेखे और लोक ऋण एवं अन्य देयताओं तथा सरकारी लेखे में कुछ परिसम्पत्तियों से प्राप्तियों एवं निर्गमों के संघ सरकार के वार्षिक लेखे शामिल होते हैं।

विनियोग लेखे (सिविल) में सिविल मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन (6 विनियोग और 92 अनुदान) शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 114 में, व्यय किए जाने से पूर्व विनियोगों को संसद द्वारा पारित किए जाने की व्यवस्था है। तदनुसार, विभिन्न मांगों के अंतर्गत संसद द्वारा यथा अनुमोदित विनियोगों का संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन सूचित करने के लिए विनियोग लेखे तैयार किए जाते हैं। अनुदानों की मूल मांगों और अंतिम विनियोग तथा वास्तविक व्यय के बीच काफी अंतर (अधिक व्यय और बचत दोनों) होने पर स्पष्टीकरण दिया जाता है। रक्षा (रक्षा मंत्रलय के दो सिविल अनुदानों को छोड़कर), रेलवे, डाक के विनियोग लेखे संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं।

विहंगावलोकन

प्राप्ति, व्यय और घाटा

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्राप्तियां ₹41,93,157 करोड़ था। सकल कर प्राप्ति ₹30,54,192 करोड़ थी, जिसमें से ₹9,48,406 करोड़ (सकल का 31%) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कर के भाग के रूप में अंतरित कर दिए गए थे। केन्द्र सरकार द्वारा रखा गया निवल कर राजस्व ₹20,97,786 करोड़ था। कुल ऋणेतर प्राप्तियां ₹24,55,403 करोड़ थी, जिनमें राजकोषीय घाटे के रूप में ₹17,37,754 करोड़ का अंतर था जिसे 2022-23 के दौरान उधारों के माध्यम से पूरा किया गया है।

भारत की समेकित निधि से कुल सरकारी व्यय ₹41,93,157 करोड़ था, जिसमें से, राजस्व व्यय ₹34,53,132 करोड़ (82%) और पूंजीगत व्यय ₹7,40,025 करोड़ (18%) था। वर्ष 2021-2022 में व्यय ₹37,93,800 करोड़ से 11% बढ़ गया था।

वित्तीय विशेषताएं 2022-23
(₹ करोड़)

	विवरण	संशोधित अनुमान* 2022-23	वास्तविक 2022-23	वास्तविक 2021-22	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
1	**राजस्व प्राप्तियां**	**23,48,413**	**23,83,207**	**21,69,906**	**10%**
2	कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	20,86,662	20,97,786	18,04,794	16%
3	करेतर राजस्व	2,61,751	2,85,421	3,65,112	-22%
4	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**83,500**	**72,196**	**39,375**	**83%**
5	कर्जों की वसुलियाँ	23,500	26,161	24,737	6%
6	अन्य प्राप्तियां	60,000	46,035	14,638	214%
7	**कुल प्राप्तियां (1+4)**	**24,31,913**	**24,55,403**	**22,09,281**	**11%**
8	**राजस्व व्यय**	**34,58,959**	**34,53,132**	**32,00,926**	**8%**
9	जिसमें से ब्याज अदायगियाँ	9,40,651	9,28,517	8,05,499	15%
10	जिसमें से, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	32,558	3,06,264	2,42,646	26%
11	पूंजीगत व्यय	7,28,274	7,40,025	5,92,874	25%
12	कुल व्यय (8+11)	41,87,232	41,93,157	37,93,800	11%
13	राजस्व घाटा (8-1)	11,10,546	10,69,925	10,31,020	4%
14	प्रभावी राजस्व घाटा (13-10)	7,84,958	7,63,661	7,88,374	-3%
15	राजकोषीय घाटा (12-7)	17,55,319	17,37,754	15,84,519	10%
16	प्राथमिक घाटा (15-9)	8,14,668	8,09,237	7,79,020	4%

* 1. बजट दस्तावेज के अनुसार संशोधित अनुमान।
2. तुलना के लिए वर्ष 2022-23 वास्तविक बजट दस्तावेज के अनुसार निवल किए गए हैं।

पिछले दशक के दौरान, सरकार की सकल प्राप्तियां ₹11,34,084 करोड़ (2013-14) से बढ़कर ₹30,54,192 करोड़ (2022-23) हो गई हैं। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में वर्ष (2022-23) के दौरान सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद' का 11.21% था।* पिछले दशक में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सकल कर राजस्व का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 10.68% और करेतर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 1.46% रहा। करेतर राजस्व वर्ष (2013-14) में सकल घरेलू उत्पाद के 1.75% से घटकर वर्ष (2022-23) में 1.05% हो गया।

भारत सरकार राजस्व प्राप्तियां

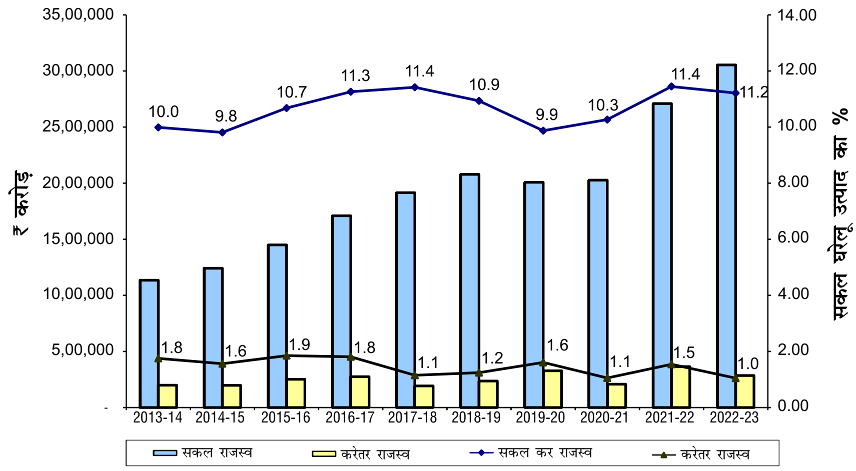

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है परन्तु सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, यह पिछले वर्ष के 13.53% की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 12.68% था। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.72% था।

2013-2023 के दशक के दौरान, राजस्व व्यय का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 12.13% और पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.92% था। साथ ही, 2022-23 में, अंतिम अनुदान में प्रदान किया गया सकल पूंजीगत व्यय (स्वीकृत+प्रभारित) ₹79,36,019 करोड़ था। वास्तविक सकल व्यय ₹78,72,750 करोड़ था, जिससे ₹63,269 करोड़ की बचत हुई।

भारत सरकार व्यय

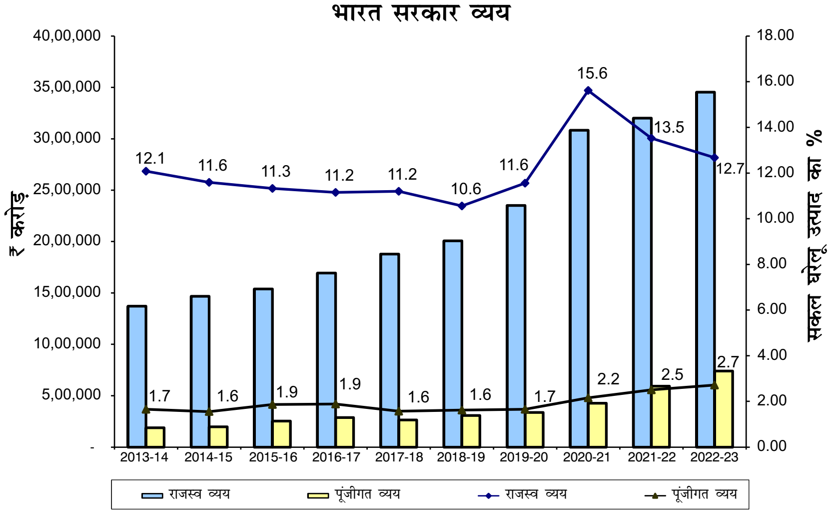

* वर्ष 2022-23 का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर ₹272.41 लाख करोड़ है जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अपने 31 मई 2023 के प्रेस नोट द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों में दर्शाया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान केन्द्र सरकार की निवल प्राप्तियां कुल व्यय के केवल 59% को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। जिससे ₹17,37,754 करोड़ का घाटा हुआ। वर्ष का राजस्व घाटा ₹10,69,925 करोड़ था। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, राजकोषीय घाटा घरेलू उत्पाद का 6.38% और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.93% था।

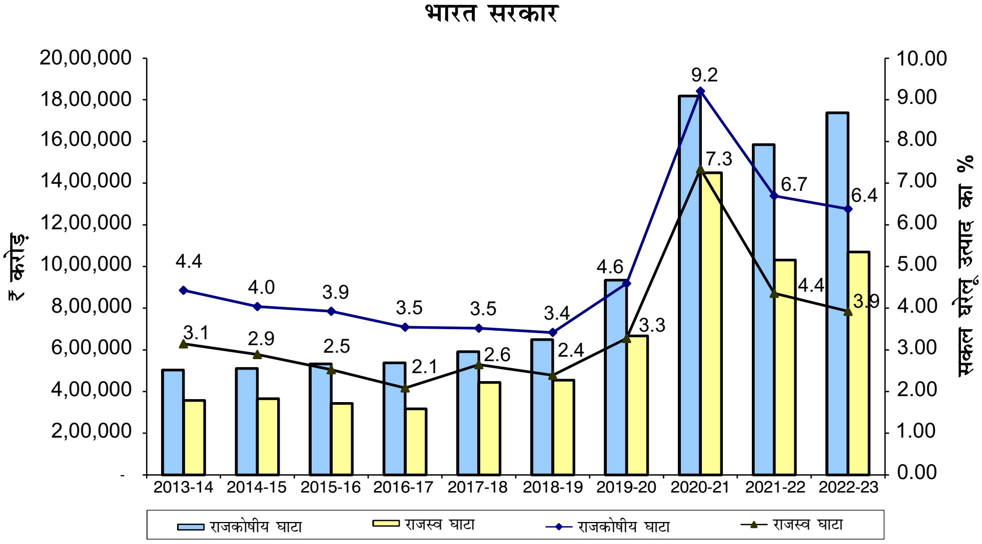

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)*

वर्षवार सकल घरेलू उत्पाद मूल्य वर्ष 2013-2014 में ₹113.55 लाख करोड़ से वर्ष 2022-2023 में दो गुना बढ़कर ₹272.41 लाख करोड़ हो गए।

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद (₹ लाख करोड़ में)
2013-2014	113.55
2014-2015	126.54
2015-2016	135.76
2016-2017	151.84
2017-2018	167.73
2018-2019	190.10
2019-2020	203.40
2020-2021	197.46
2021-2022	236.65
2022-2023	272.41

* सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्तमान मूल्यों पर जारी अनंतिम अनुमान।

घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

वर्ष 2022–23 के दौरान, ₹17,37,754 करोड़ के घाटे को मुख्य रूप से (i) ₹16,10,883 करोड़ के आंतरिक ऋण (ii) ₹37,124 करोड़ के बाहरी ऋण से वित्तपोषित किया गया। उधार द्वारा जुटाए गए संसाधन के घाटे से कम होने के कारण नकदी शेष में ₹1,622 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2022–23 के अंत में नकदी शेष राशि ₹4,026 करोड़ थी।

घाटे का वित्तपोषण
(₹ करोड़)

विवरण	2022-23		2021-22	
आंतरिक ऋण	16,10,883	93%	13,89,530	88%
बाजार कर्ज	10,98,508	63%	7,32,581	46%
खजाना बिल	63,332	7%	77,438	5%
प्रतिपूर्ति और अन्य बांड	-4,829	0%	12,737	1%
अन्य	4,53,872	26%	5,66,774	36%
परिक्रामी निधि सहित बाह्य ऋण	37,124	2%	36,147	2%
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	-1,622	0%	2,543	0%
लोक लेखा	91,369	5%	1,56,299	10%
कुल वित्तपोषण	**17,37,754**	**100%**	**15,84,519**	**100%**

ऋण और अन्य देयताएं

वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹88,64,893 करोड़ के नए ऋण का अनुबंध किया और ₹71,99,701 करोड़ के पिछले ऋण का निपटान किया। इसका निवल परिणाम यह हुआ कि लोक ऋण में ₹16,65,192 करोड़ की वृद्धि हो गई। 31.03.2023 को बकाया ऋण का कुल स्टॉक ₹1,35,66,889 करोड़ था। वर्ष 2022-2023 के अंत में ब्याज वाले कुल दायित्व ₹1,43,78,688 करोड़ थे, और कुल देनदारियाँ ₹1,46,53,035 करोड़ था।

ऋण और अन्य देयताओं में परिवर्तन
(₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल, 2022	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2023	वृद्धि/ कमी
ऋण*	1,19,01,697	88,64,893	71,99,701	1,35,66,889	16,65,192
अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि**	6,01,446	16,68,420	17,21,857	5,48,009	-53,437
ब्याज वाली अन्य देयताएं	2,48,846	99,002	84,058	2,63,790	14,944
बिना ब्याज वाली अन्य देयताएं	1,70,919	10,17,117	9,13,689	2,74,347	1,03,428
कुल ऋण और अन्य देयताएं	**1,29,22,908**	**1,16,49,432**	**99,19,305**	**1,46,53,035**	**17,30,127**

प्राप्तियों और व्ययों, लोक ऋण और अन्य देयताओं का दस वर्ष का सारांश परिशिष्ट-1 पर दिया गया है।

* बाह्य ऋण (₹4,93,157 करोड़) ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया है। यदि यह वर्तमान मूल्य (₹7,48,455 करोड़) पर लिया जाता तो 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार लोक ऋण की राशि ₹1,38,22,188 करोड़ होती।

** 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार लघु बचतों, भविष्य निधि आदि से संबंधित केन्द्र सरकार की कुल देयता ₹11,18,661 करोड़ है। इसमें से ₹14,660 करोड़ संचित घाटा है, ₹3,53,834 करोड़ का निवेश राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में, ₹85,350 करोड़ का निवेश विभिन्न सरकारी उपक्रमों में और पोलिफ निवेश से संबंधित ₹1,16,809 करोड़ का निवेश निजी प्रबंधकों के पास किया गया और इस प्रकार इस लेखे में ₹5,48,009 करोड़ की देयता बकाया है।

पिछले 10 वर्षों में, लोक ऋण (वर्तमान मूल्य पर) जोकि वर्ष 2013-14 में ₹46,15,250 करोड़ था, वह वर्ष 2022-23 में लगभग तीन गुना बढ़कर ₹1,38,22,188 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में लोक ऋण (वर्तमान मूल्य पर), जोकि वर्ष 2013-14 में सकल उत्पाद का 40.64% था, वह 2022-23 के अंत में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 50.74% हो गया। वर्ष 2022-23 के अंत में, आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 47.99% और बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य पर) सकल घरेलू उत्पाद का 2.75% था।

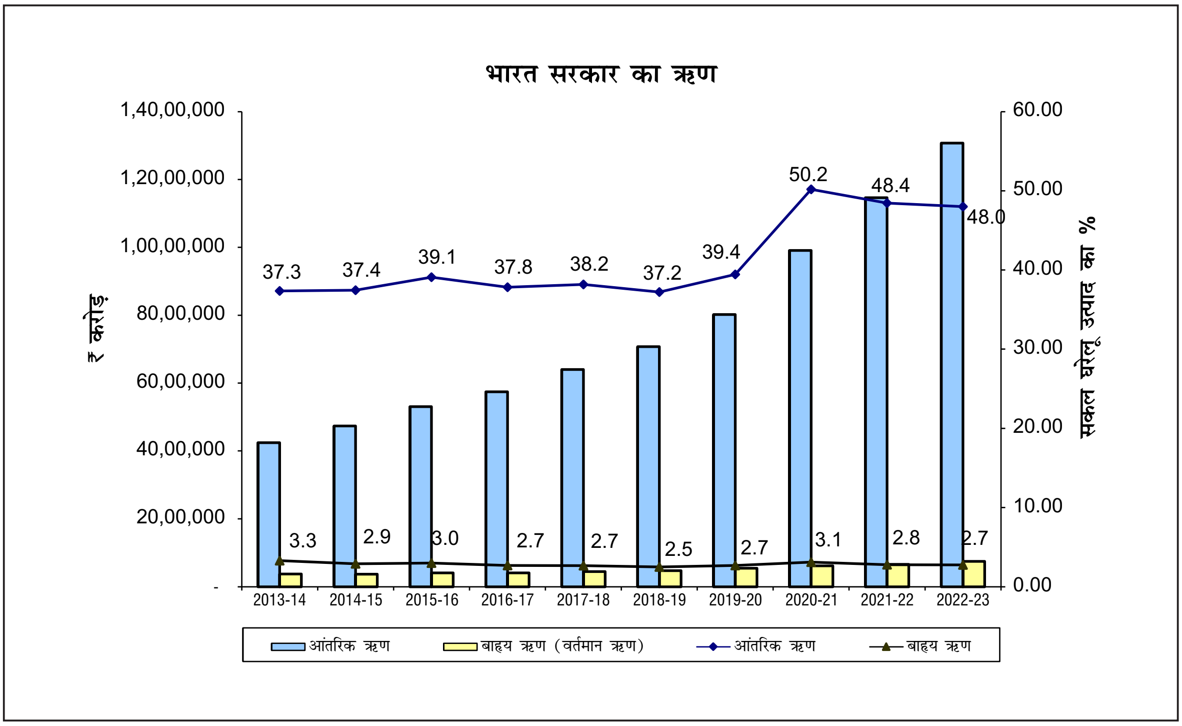

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार ने ₹24,55,403 करोड़ (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण का निवल) का राजस्व प्राप्त किया और ₹88,47,708 करोड़ का ऋण उठाया। इस प्रकार, भारत की समेकित निधि में प्राप्त कुल निधियां, ₹1,13,03,111 करोड़ था। इसमें से, ₹71,99,701 करोड़ पिछले ऋण की पुनअर्दायगी करने के लिए उपयोग में लाए गए और ₹41,93,157 करोड़ सरकार के चालू कार्याकलापों पर व्यय किए गए। भारत की समेकित निधि से कुल ₹1,13,92,858 करोड़ का व्यय हुआ। भारत की समेकित निधि में व्यय की तुलना अधिक प्राप्तियों के साथ-साथ लोक लेखों में निवल प्राप्तियों के कारण नकद शेष में ₹1,622 करोड़ की वृद्धि हुई।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग
(₹ करोड़)

स्रोत			अनुप्रयोग		
	2022-23	**2021-22**		**2022-23**	**2021-22**
राजस्व	**24,55,403**	**22,09,281**	**व्यय**	**41,93,157**	**37,95,719**
कर	20,97,786	18,04,794	राजस्व	34,53,132	32,00,926
करेतर	2,85,421	3,65,112	*जिसमें से ब्याज अदायगी*	*9,28,517*	*8,05,499*
ऋणेतर पूंजी	72,196	39,375	पूँजीगत	7,40,025	5,94,793
अन्य स्रोत	89,37,455	82,31,906	**अन्य अनुप्रयोग**	71,99,701	66,45,468
नया ऋण	88,47,708	80,73,064	ऋण की पुनर्अदायगी	71,99,701	66,45,468
आन्तरिक	87,70,656	79,99,216	आंतरिक	71,59,772	66,09,686
बाह्य	77,052	73,848	बाह्य	39,929	35,782
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	-1,622	2,543			
लोक लेखा	91,369	1,56,299			
जोड़	**1,13,92,858**	**1,04,41,187**	**जोड़**	**1,13,92,858**	**1,04,41,187**

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, वर्ष 2022-23 के दौरान कर प्राप्तियों और करेतर प्राप्तियों में क्रमश: 16% और 22% की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप सरकार की कुल प्राप्तियों में 10% की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल सरकारी व्यय में 11% की वृद्धि हुई, राजस्व व्यय में भी 8% की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय में 25% की वृद्धि हुई।

बजट की तुलना में वास्तविक राशियों का विश्लेषण

प्राप्तियां

वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार का निवल कर राजस्व ₹20,97,786 करोड़ था जो संशोधित अनुमान का 102.52% था और गैर-कर राजस्व (₹2,85,421 करोड़) संशोधित अनुमान का 109.04% था। कुल राजस्व प्राप्तियां (₹23,83,207 करोड़) संशोधित अनुमानों का 101.48% थी।

ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों (₹72,196 करोड़) में विनिवेश प्राप्तियों और कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां शामिल होती हैं, ये संशोधित अनुमानों का 86.40% थी। इस प्रकार सरकार की कुल ऋणेतर प्राप्तियां ₹24,55,403 करोड़ था जो कि वर्ष के दौरान सरकार के कुल व्यय ₹41,93,157 करोड़ से राजकोषीय घाटे के रूप में ₹17,39,376 करोड़ कम था। 'ऋण वित्तीयन' से पूरे किए गए घाटे का संघटक संशोधित अनुमान का 98.81% था। वर्ष के दौरान सरकार की कुल ऋण प्राप्तियां ₹17,39,376 करोड़ था जो संशोधित अनुमानों का 98.91% था। नकद आहरण द्वारा ₹-3,241 करोड़ के अनुमान की तुलना में सरकार की आरक्षित नकदी में ₹1,622 करोड़ की वृद्धि हुई।

प्राप्तियाँ 2022-23
(₹ करोड़)

		संशोधित अनुमान (2022-23)	वास्तविक राशि (2022-23)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2021-22)
	राजस्व प्राप्तियां				
1	**कर राजस्व**				
	सकल कर राजस्व	**30,43,067**	**30,54,192**	**100.36**	**27,09,315**
	केन्द्रीय माल और सेवा कर	7,24,000	7,18,522	103.72	5,91,226
	एकीकृत माल और सेवा कर	0	4748	-	2,119
	जीएसटी मुआवजा उपकर	1,30,000	1,25,862	96.82	1,04,769
	निगम कर	8,35,000	8,25,834	98.90	7,12,037
	आय पर कर	8,15,000	8,33,260	102.24	6,96,243
	धन कर	0	-10	-	11
	सीमा शुल्क	2,10,000	2,13,371	101.61	1,99,728
	संघ उत्पाद शुल्क	3,20,000	3,19,000	99.69	3,90,808
	सेवा कर	1,000	431	43.10	1,012
	संघ राज्य क्षेत्रों के कर	8,067	8513	105.53	7,197
	घटाएं - राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंतरित एनसीसीडी	**8,000**	**8,000**	**100.00**	**6,130**
	घटाएं - राज्यों का भाग	**9,48,405**	**9,48,406**	**100.00**	**8,98,391**
	1 (क) **केन्द्र का निवल कर राजस्व**	**20,86,662**	**20,97,786**	**102.52**	**18,04,794**

		संशोधित अनुमान (2022-23)	वास्तविक राशि (2022-23)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2021-22)
2	**करेतर राजस्व**				
	ब्याज प्राप्तियां	24,640	27,852	113.04	21,874
	लाभांश और लाभ	83,953	99,914	119.01	1,60,647
	बाह्य अनुदान	2,580	1,887	7314	1,306
	अन्य करेतर राजस्व	1,48,342	1,53,577	103.53	1,79,540
	संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	2,236	2,191	97.99	1,745
	कुल करेतर राजस्व	**2,61,751**	**2,85,421**	**109.04**	**3,65,112**
	कुल राजस्व प्राप्तियां I (1 क + 2)	**23,48,413**	**23,83,207**	**101.48**	**21,69,906**
3	**पूंजीगत प्राप्तियां**				
क	**ऋणेतर प्राप्तियां**				
	कर्जों और अग्रिमों की वसूलियां @	23,500	26,161	111.32	24,737
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	60,000	46035	76.73	14,638
	कुल	**83,500**	**72196**	**86.46**	**39,375**
ख	**ऋण प्राप्तियां***				
	उधार	11,95,866	12,17,845	101.83	8,14,567
	अल्प बचतों पर जारी प्रतिभूतियां	4,38,919	3,95,859	90.19	5,51,269
	राज्य भविष्य निधि (निवल)	20,000	5,088	25.44	10,317
	अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखे)	79,902	83,460	104.45	1,69,677
	बाह्य ऋण	23,874	37,124	155.50	36,147
	कुल	**17,58,561**	**17,39,376**	**98.91**	**15,81,976**
	कुल पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख)	**18,42,061**	**18,11,572**	**98.33**	**16,21,351**
4	**भारत की आकस्मिकता निधि**		**0**	**-**	**0**
	भारत की आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग			-	29,500
	अंतरण की तुलना में निवल			-	-29,500
5	**नकद शेष की आहरण द्वारा कमी**	**-3,241**	**-1,622**	**50.05**	**2,543**
	कुल प्राप्तियां (1क+2+3+4)	**41,87,233**	**41,93,157**	**100.16**	**37,93,800**
	राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (3ख+4)	**17,55,320**	**17,37,754**	**99.00**	**15,84,519**
	एमएसएस के अंतर्गत प्राप्तियां (निवल)	**0**	**0**	**0**	**0**

व्यय

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार का कुल व्यय ₹41,93,157 करोड़ था, जो संशोधित अनुमानों का 101.14% था। राजस्व व्यय संशोधित अनुमानों का 99.83% था, जबकि पूंजीगत व्यय संशोधित अनुमानों का 101.61% था। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदानों पर व्यय संशोधित अनुमानों का 106.27% था और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण पर व्यय संशोधित अनुमानों का 112.49% था।

* ये प्राप्तियां पुनर्अदायगियों का निवल हैं।
@ इसमें अल्पकाल ऋण की वसूलियों और राज्यों से अग्रिम, सरकारी सेवकों को ऋण आदि जो ₹10,111 करोड़ होता है, शामिल नहीं है।

सहायिकियों, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान तथा सामाजिक सेवाओं पर व्यय संशोधित अनुमानों से अधिक हो गया, जबकि राजस्व खंड में अन्य सभी व्यय संशोधित अनुमानों से कुछ भिन्न रहे। पूंजीगत खंड में सामान्य सेवाओं के अलावा सभी संघटकों पर व्यय संशोधित अनुमानों से अधिक रहा।

व्यय 2022-23
(₹ करोड़)

		संशोधित अनुमान (2022-23)	वास्तविक राशि (2022-23)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2021-22)
क	**राजस्व व्यय**				
1	ब्याज अदायगियां और प्रीपेमेंट प्रीमीयम	9,40,651	9,28,517	98.71	8,05,499
2	रक्षा सेवा	2,59,500	2,56,183	98.72	2,28,559
3	सहायिकियां	5,62,080	5,69,916	101.39	5,02,225
4	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	6,13,196	6,51,648	106.27	6,16,141
5	पेंशन	2,44,780	2,41,599	98.70	1,98,946
6	पुलिस	1,10,515	1,07,187	96.99	98,284
7	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्यों को सहायता	8,000	8,000	100.00	6,130
8	अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, विदेश मामले आदि)	83,811	82,243	98.13	98,495
9	सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि)	1,84,324	1,88,162	102.08	2,41,224
10	आर्थिक सेवाएं (कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि)	4,16,153	3,87,448	93.10	3,71,775
11	डाक घाटा	22,138	20,538	92.77	18,861
12	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	15,110	13,303	88.04	15,256

		संशोधित अनुमान (2022-23)	वास्तविक राशि (2022-23)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2021-22)
13	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि	-8,000	-8,000	100.00	-6,130
14	विदेशी सरकारों को अनुदान	6,701	6,387	95.30	5661
कुल राजस्व व्यय		**34,58,959**	**34,53,132**	**99.83**	**32,00,926**
ख	**पूंजीगत व्यय**				
1	सामान्य सेवाएं	168548	161188	95.63	1,53,776
	जिनमें से रक्षा सेवाएं	150000	142940	95.29	1,37,987
2	समाज सेवाएं	9642	12166	126.18	9,445
3	आर्थिक सेवाएं	436732	447586	102.49	3,67,697
4	ऋण और अग्रिम	108070	115268	106.66	58,376
	जिसमें से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज	82413	92707	112.49	22,535
	जिसमें से विदेश सरकारों को कर्ज	721	704	97.69	443
	जिसमें से पीएसयू को कर्ज सहित अन्य कर्ज	24936	21857	87.65	35,397
5	बिना विधान मंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का व्यय	5283	3817	72.26	3,580
कुल पूंजीगत व्यय		**7,28,274**	**7,40,025**	**101.61**	**5,92,874**
ग	**आकस्मिकता निधि**	**0**	**0**	**-**	
	आकस्मिकता निधि को अंतरण			-	29,500
	निवल			-	-29,500
कुल पूंजीगत व्यय (क+ख+ग)		**41,87,233**	**41,93,157**	**101.14**	**37,93,800**

वित्तीय विवरण

वित्तीय स्थिति का विवरण
(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
	देयताएं	**1,46,83,035**	**1,29,52,908**
क.	लोक ऋण	1,35,66,889	1,19,01,697
	1. आंतरिक ऋण	130,73,732	1,14,62,343
	2. बाह्य ऋण	4,93,157	4,39,354
ख.	आकस्मिकता निधि	30,000	30,000
ग.	लोक लेखे पर देयताएं (निवेशों/अग्रिमों का निवल)	10,86,146	10,21,211
	1. आरक्षित निधियां	1,52,003	83,200
	2. जमा और अग्रिम	3,86,134	3,36,566
	3. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	5,48,009	6,01,445
	परिसम्पत्तियां	**1,46,83,035**	**1,29,52,908**
क.	रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	4,026	37,756
	1. रोकड़ शेष	4,026	2,404
	2. अल्पावधि रोकड़ निवेश	0	35,352
ख.	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	21,68,137	18,79,522
	1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश	12,98,658	11,15,829
	2. कर्ज तथा अग्रिम	8,69,479	7,63,693
	क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	5,81,566	4,92,213
	ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2,87,913	2,71,480
ग.	उचंत और विविध	-31,590	-64,741
घ.	संचित घाटा*	1,25,42,461	1,11,00,371

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2022-23)-सकल आंकड़े

* पिछले वर्षों के संचित घाटे और अधिशेष को दर्शाता है।

प्रचालन विवरण
(₹ करोड़)

	2022-2023	2021-2022
प्राप्तियां		
राजस्व लेखा	**27,13,267**	**24,36,422**
कर राजस्व	21,05,786	18,10,924
करेतर राजस्व	6,05,594	6,24,192
सहायता अनुदान	1887	1,306
अन्य प्राप्तियां	**46,035**	**14,638**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश	475	2,936
अन्य	45,560	11,702
कुल प्राप्तियां	**27,59,302**	**24,51,060**
व्यय		
राजस्व लेखा	**37,83,699**	**34,68,189**
सामान्य सेवाएं	16,79,263	14,82,119
सामाजिक सेवाएं	2,13,780	2,66,367
आर्थिक सेवाएं	12,32,621	10,97,901
सहायता अनुदान	6,58,035	6,21,802
पूंजीगत लेखा	**4,11,458**	**3,35,084**
सामान्य सेवाएं	1,61,551	1,54,053
सामाजिक सेवाएं	12,676	10,099
आर्थिक सेवाएं	2,37,231	1,70,932
विविध	**6,235**	**9,352**
कुल व्यय	**42,01,392**	**38,12,625**
पूर्व अवधि समायोजन	**0**	**892**
घाटा*	**14,42,090**	**13,62,457**

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2022-23)-सकल आंकड़े

* घाटे को वित्तीय स्थिति के विवरण में अग्रेनीत करके संचित घाटे के रूप में दर्शाया गया है।

प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़)

	2022-2023	2021-2022
प्राप्तियां	**1,45,82,355**	**1,39,92,111**
भारत की समेकित निधि	**1,16,60,467**	**1,07,54,659**
कर राजस्व	21,05,786	18,10,924
करेतर राजस्व	6,05,594	6,24,192
सहायता अनुदान और अंशदान	1,887	1,306
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	46,035	14,638
लोक ऋण	88,64,892	82,49,151
कर्ज तथा अग्रिम	36,273	24,948
भारत की आकस्मिकता निधि	0	29,500
लोक लेखा	**29,21,888**	**32,37,452**
अल्प बचतें, भविष्य निधि	1,66,8420	15,84,727
आरक्षित निधियां	7,77,934	6,32,680
जमा तथा अग्रिम	4,08,772	7,62,036
उचंत और विविध	54,304	2,56,659
प्रेषण	12,458	1,350
संवितरण	**1,45,80,733**	**1,39,94,654**
भारत की समेकित निधि	**1,17,50,215**	**1,09,13,502**
सामान्य सेवाएं	16,79,263	14,82,119
सामाजिक सेवाएं	2,13,780	2,66,367
आर्थिक सेवाएं	12,32,621	10,97,901
सहायता अनुदान और अंशदान	6,58,035	6,21,802
पूंजीगत परिव्यय	6,24,757	5,38,140
ऋण की पुर्नअदायगी	71,99,701	66,45,468
कर्ज तथा अग्रिम	1,42,058	2,32,205
भारत की आकस्मिकता निधि को अंतरण	0	29,500
लोक लेखा	**28,30,518**	**30,81,152**
अल्प बचतें, भविष्य निधि	172,1,857	16,97,696
आरक्षित निधियां	7,09,131	5,90,527
जमा तथा अग्रिम	3,56,783	7,19,833
उचंत और विविध	41,915	53,564
प्रेषण	832	19,532
संवितरणों पर प्राप्तियां	**1,622**	**-2,543**
प्रारंभिक रोकड़ शेष*	2,404	4,947
अंतर रोकड़ शेष	**4,026**	**2,404**

स्रोतः संघ सरकार वित्त लेखे (2022-23)-सकल आंकड़े

प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और ऋणतर पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और करेतर राजस्व शामिल होता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल सरकारी ऋणेतर प्राप्तियों में कर राजस्व का भाग लगभ 85% है। शेष राजस्व करेतर राजस्व (12%) और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां (3%) से आया। निगम कर, आय कर, वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सरकार के सबसे बड़े राजस्व स्रोत हैं, जोकि कुल सरकारी ऋणेतर प्राप्तियों को लगभग 77% हैं। निगम कर (21%), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (18%), आय कर (20%), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (13%), सीमा शुल्क (7%), वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर (5%), लाभांश (4%) और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां (3%) ऋणेतर सरकारी प्राप्तियों का मुख्य भाग हैं।

भारत की समेकित निधि प्राप्तियां (2022.23)

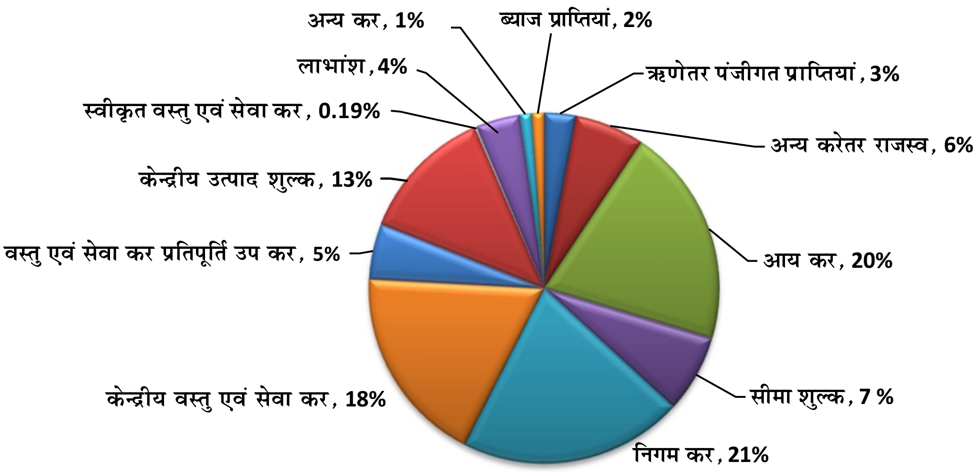

वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार की कुल प्राप्तियां (राज्यों को करों का निवल अंतरण) ₹24,55,403 करोड़ थी। कर राजस्व में 16% की वृद्धि होकर यह ₹18,04,794 करोड़ से ₹20,97,786 करोड़ हो गया, जबकि करेतर राजस्व में 22% की कमी होकर यह ₹3,65,112 करोड़ से ₹2,85,421 करोड़ हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों में 83% की वृद्धि आई। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की कुल प्राप्तियों में समग्र रूप से 11% की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार की ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों की वजह से ₹26,161 करोड़ की राशि शामिल है।

ऋणेतर प्राप्तियां
(₹ करोड़)

विवरण	2022-23	2021-22	वृद्धि
कर राजस्व	20,97,786	18,04,794	16%
करेतर राजस्व	2,85,421	3,65,112	-22%
ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां	72,196	39,375	83%
कुल ऋणेतर प्राप्तियां	**24,55,403**	**22,09,281**	**11%**

कर राजस्व

कर राजस्व संग्रहण (केन्द्र को निवल) वर्ष 2021-22 में ₹18,04,794 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹20,97,786 करोड़ हो गया। केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर में 22% की वृद्धि और आयकर में 20% की वृद्धि हुई, इसके अलावा निगम कर में 16% की वृद्धि और सीमा शुल्क में 7% की वृद्धि हुई।

कर राजस्व
(₹ करोड़)

		2022-23			2021-22			
	विवरण	सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल	सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल	सकल कर में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि
1.	वस्तु एवं सेवा कर							
क	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	7,18,522	2,68,334	4,50,188	5,91,226	2,52,842	3,38,384	22%
ख	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	4,748	-	4,748	2,119	-	2,119	124%
ग	वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूरक उपकर	1,25,862	-	1,25,862	1,04,769	-	1,04,769	20%
2	निगम कर	8,25,834	3,17,163	5,08,671	7,12,037	2,68,385	4,43,652	16%
3	आय कर	8,08,221	3,10,819	4,97,402	6,73,100	2,63,206	4,09,894	20%
4	ब्याज कर	9	-	9	4	-	4	112%
5	अनुषंगी हितलाभ कर	-75	-	-75	-55	-	-55	36%
6	आय एवं व्यय पर अन्य कर	19	-	19	3	2	1	517%
7	धन कर	-10	-	-10	11	58	-47	-193%
8	प्रतिभूति लेनदेन कर	25,086	-	25,086	23,191	-	23,1918%	8%
9	सीमा शुल्क	2,13,371	37,330	1,76,041	1,99,728	65,079	1,34,649	7%
10	संघ उत्पाद शुल्क	3,19,000	11,712	3,07,288	3,90,808	35,967	3,54,841	-18%
11	सेवा कर	431	1,485	-1,054	1,012	11,945	-10,933	-57%
12	अन्य कर तथा माल एवं सेवा पर शुल्क	3,724	1,563	2,161	3836	907	2929	-3%
12	अन्य कर	937	-	937	329	-	329	185%
13	संघ राज्य क्षेत्रें को कर	8,513	-	8,513	7,197	-	7,197	18%
14	एनसीसीएफ को अंतरित अधिभार	-8,000	-	-8,000	-6,130	-	-6,130	31%
		30,46,192	**9,48,406**	**20,97,786**	**27,03,185**	**8,98,391**	**18,04,794**	**13%**

करेतर राजस्व

सरकार का करेतर राजस्व मुख्यत: ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश एवं लाभ और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी शुल्क/प्रभार के रूप में उपार्जित होता है। करेतर राजस्व संग्रहण जो कि वर्ष 2021-22 में ₹3,65,112 करोड़ था। वह वर्ष 2022-23 के दौरान घटकर ₹2,85,421 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसमें ₹79,691 करोड़ की कमी हुई।

करेतर राजस्व (₹ करोड़)				
क्र.सं.	**विवरण**	**2022-23**	**2021-22**	**वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि (%)**
1.	ब्याज प्राप्तियां	27,852	21,874	27%
2.	लाभांश और लाभ	99,914	1,60,647	-38%
3.	संघ राज्य क्षेत्रों का गैर-कर राजस्व	2,191	1,745	26%
4.	अन्य करेतर राजस्व	1,55,464	1,80,846	-14%
कुल करेतर राजस्व		**2,85,421**	**3,65,112**	**-22%**

ब्याज प्राप्तियां (सकल)

ब्याज प्राप्तियां सरकार के करेतर राजस्वों का एक मुख्य स्रोत है। ब्याज राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों सहित विभिन्न निकायों को दिए गए कर्जों पर प्रोदभूत होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज कुल ब्याज प्राप्तियों का 16% है। सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम (3%), वाणिज्यिक उपक्रम विभाग (3%) अन्य महत्वपूर्ण अंशदाता हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल ब्याज प्राप्तियां (सकल) ₹59,564 करोड़ थी। पिछले वर्ष की तुलना में, ब्याज प्राप्तियों में ₹13,387 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सार्वजनिक तथा अन्य उपक्रमों में प्राप्तियों में वृद्धि हुई जबकि अन्यों में कमी आई।

ब्याज प्राप्तियां (सकल) (₹ करोड़)					
क्र.सं.	**स्रोत**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	9,702	6,552	6,317	7,696
2.	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	1,544	1,534	1,374	1,410
3.	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम	1,664	2,088	1,695	889
4.	अन्य	46,654	36,003	50,154	46,969
	कुल	**59,564**	**46,177**	**59,540**	**56,964**

लाभांश

सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर लाभांश कम होकर ₹60,731 करोड़ हो गया, जो कि वर्ष 2021-22 के दौरान ₹1,60,653 करोड़ था, वह वर्ष 2022-23 में ₹99,922 करोड़ हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक से लाभांश में अत्यधिक कमी हुई है यह 69% से भी अधिक की कमी है और यह लाभांश में मुख्य योगदाता है, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभांशों में क्रमश: 100% तथा 292% की वृद्धि हुई है।

लाभांश - मुख्य स्रोत (₹ करोड़)					
क्र.सं.	**मुख्य स्रोत**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	59,735	59,120	39,497	35,509
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	916	-	-	2,261
3.	राष्ट्रीयकृत बैंक	8,738	2231	-	108
4.	भारतीय रिजर्व बैंक	30,308	99,122	57,128	68,000
5.	अन्य	225	180	264	9
	कुल	**99,922**	**1,60,653**	**96,889**	**1,03,887**

विविध पूंजीगत प्राप्तियां

विविध पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्तियों की विक्रय आय होती है, जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की शेयर पूंजी का विनिवेश भी शामिल है। वर्ष 2022-23 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से ₹475 करोड़ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर प्रीमियम के कारण ₹29,709 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, ₹15,851 करोड़ की कुल पूंजीगत प्राप्तियों में, ₹10,662 करोड़ राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण की आय से संबंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियां (₹ करोड़)					
क्र.सं.	**स्रोत**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों का विनिवेश	475	2,936	1,725	9,010
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम	29,709	5,496	27,996	39,224
3.	अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	15,851	6,206	8,176	2,070
	कुल	**46,035**	**14,638**	**37,897**	**50,304**

*विवरण में संघ सरकार के करेतर राजस्व दर्शाए गए हैं और वाणिज्यिक प्राप्तियों के विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 और परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत किए गए हैं।

व्यय

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार का कुल व्यय ₹41,93,157 करोड़ था। व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹3,99,357 करोड़ (11%) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय ₹34,53,132 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹2,52,206 करोड़ (8%) की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय ₹7,40,025 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹1,47,151 करोड़ (25%) की वृद्धि हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का भाग 18% था। राजस्व व्यय में वृद्धि सहायिकियों के अधिक वितरण के कारण हुई जबकि पूंजीगत व्यय में वृद्धि ऋण एवं अग्रिम के अधिक वितरण के कारण हुई।

व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2022-23	2021-22	वर्षवार वृद्धि
राजस्व	**34,53,132**	**32,00,926**	**8%**
सामान्य सेवाएं	16,17,127	14,33,410	13%
सामाजिक सेवा	2,05,779	2,60,237	-21%
आर्थिक सेवाएं	9,72,191	8,85,477	10%
सहायता अनुदान और अंशदान	6,58,035	6,21,802	6%
पूंजीगत	**7,40,025**	**5,92,874**	**25%**
सामान्य सेवाएं	1,61,551	1,54,053	5%
सामाजिक सेवा	12,676	10,099	26%
आर्थिक सेवाएं	4,50,530	3,70,346	22%
कर्ज एवं अग्रिम	1,15,268	58,376	97%
आकस्मिक व्यय	**0**	**0**	**-**
आकस्मिक व्यय को अंतरण	0	29,500	-
निवल	0	-29,500	-
कुल व्यय	**41,93,157**	**37,93,800**	**11%**

क्षेत्रवार व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2022-23	2021-22	वर्षवार वृद्धि
सामान्य सेवाएं	17,78,678	15,87,463	12%
सामाजिक सेवा	2,18,455	2,70,336	-19%
आर्थिक सेवाएं	14,22,721	12,55,823	+13%
सहायता अनुदान एवं अंशदान	6,58,035	6,21,802	6%
कर्ज और अग्रिम	1,15,268	58,376	97%
कुल व्यय	**41,93,157**	**37,93,800**	**11%**

कुल पूंजीगत व्यय में से ₹7,40,025 करोड़ (84%) परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय किए गए, शेष कर्ज एवं अग्रिम (16%) के रूप में थे।

वर्ष	परिसंपत्ति निर्माण		कर्ज एवं अग्रिम		कुल
2013-14	1,68,478	90%	19,197	10%	1,87,675
2014-15	1,67,463	85%	29,218	15%	1,96,681
2015-16	2,26,685	90%	26,337	10%	2,53,022
2016-17	2,49,472	87%	36,810	13%	2,86,282
2017-18	2,45,112	93%	18,027	7%	2,63,139
2018-19	2,79,493	92%	28,221	8%	3,07,714
2019-20	3,11,851	93%	24,414	7%	3,36,265
2020-21	3,15,826	74%	1,10,491	26%	4,26,317
2021-22	5,34,498	90%	58,376	10%	5,94,793
2022-23	6,24,757	84%	1,15,268	16%	7,40,025

क्षेत्रवार आबंटन

समग्र रूप से, सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹17,78,678 करोड़ (कुल व्यय का 42%) इसमें राज्यों के अंग, राजकोषीय सेवाओं, पेंशनों, रक्षा आदि पर व्यय शामिल है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय ₹2,18,455 करोड़ (कुल व्यय का 5%) और आर्थिक सेवाओं पर ₹14,22,721 करोड़ (कुल व्यय का 34%), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान के रूप में ₹6,58,035 करोड़ (कुल व्यय का 16%) जारी किए गए। वर्ष के दौरान ऋण और अग्रिम के रूप में ₹1,15,268 करोड़ (कुल व्यय का 3%) की राशि दी गई।

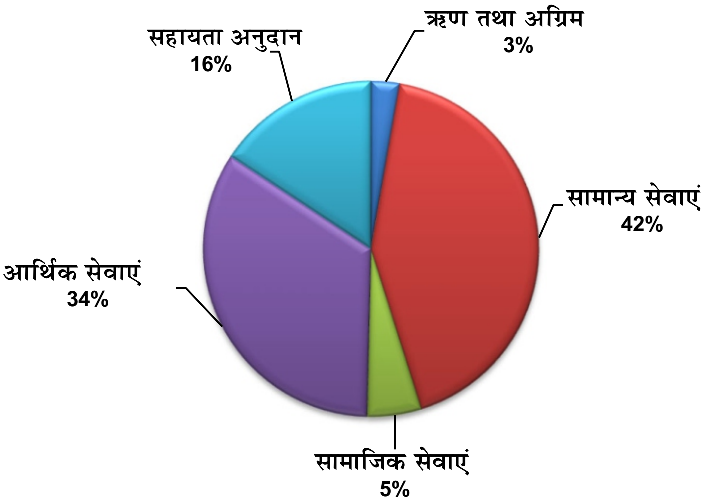

सहयिकियां (सब्सिडी)

सहायिकियों पर व्यय जो कि वर्ष 2021-22 में ₹5,02,225 करोड़ था वह वर्ष 2022-23 में ₹5,77,916 करोड़ हो गया, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुई। खाद्य उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर सहायिकियां क्रमशः ₹2,72,802 करोड़, ₹2,51,339 करोड़ तथा ₹6,817 करोड़ था। खाद्य सहायिकी में पिछले वर्ष से 6% की कमी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में पेट्रोलियम सहायिकी में 99% और उर्वरक सहायिकी में 63% की वृद्धि हुई। अन्य मदों के सहायिकी बिल में 16% की वृद्धि हुई।

मुख्य आर्थिक सहायता
(₹ करोड़)

विवरण	2022-23	2021-22	वर्षवार वृद्धि
खाद्य	2,72,802	2,88,968	-6%
उर्वरक	2,51,339	1,53,758	63%
पेट्रोलियम	6,817	3,421	99%
अन्य	46,958	56,078	-16%
कुल	**5,77,916**	**5,02,225**	**15%**

1. वेतन एवं भत्ते व्यय के महत्वपूर्ण भाग हैं। वेतन एवं भत्तों पर मंत्रालय-वार-/विभाग-वार व्यय दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-6 पर है।
2. आर्थिक सहायताओं के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-7 पर है।

ब्याज आर्थिक सहायता 2022-23 में ₹41,676 करोड़ थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,105 करोड़ की वृद्धि हुई। ब्याज सहायता का मुख्य घटक आशोधित ब्याज अनुदान योजना (₹17,998 करोड़) और आर्थिक रूप से पिछड़े/निम्न आय समूह/मध्यम आय समूह के लिए क्रेडिट लिंक सहायिकी स्कीम (₹10,821 करोड़) थी। अन्य आर्थिक सहायताएं भी वर्ष 2021-22 में ₹16,506 करोड़ से कम हो कर वर्ष 2022-23 में ₹5,281 करोड़ हो गई।

निवल उधार

सरकार उधार प्रक्रिया के मुख्य लाभाग्राही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और विभिन्न सार्वजनिक निगम एवं संस्थान होती हैं। 2022-23 के दौरान, सरकार ने ₹1,42,058 करोड़ के नए कर्ज दिए और पिछले वर्षों में दिए गए कर्जों की पुर्नअदायगी के रूप में ₹36,273 करोड़ प्राप्त किए। इससे, अग्रिमों की राशि में ₹1,05,785 करोड़ की वृद्धि हुई। 2022-23 के अंत में, सरकार के अग्रिम ₹8,69,478 करोड़ थे।

सरकार द्वारा दिए गए उधार
(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	01-अप्रैल-22	वृद्धियां	प्राप्तियां	31-मार्च-23	वृद्धि/कमी
1.	राज्य सरकारें	4,76,900	1,09,385	19,891	5,66,394	89,494
2.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	15,313	0	141	15,172	-1,41
3.	विदेशी सरकारें	14,462	704	-129	15,295	833
4.	सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, कृषक आदि	2,56,720	31,809	16,258	2,72,271	15,551
5.	सरकारी कर्मचारी	298	160	112	3,46	48
	कुल	**7,63,693**	**1,42,058**	**36,273**	**8,69,478**	**1,05,785**

निवेश

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में ₹2,18,996 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कंपनियों में सरकार का कुल निवेश ₹16,30,853 करोड़ था।

कंपनियों आदि में सरकार का निवेश
(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	निवेश की गई राशि
1.	वैधानिक निगम	13,038
2.	सरकारी कंपनियां	9,44,409
3.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय	1,75,371
4.	राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक	4,97,758
5.	सहकारी समितियां	277
	कुल	**16,30,853**

व्यय के मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्योरे परिशिष्ट-8 पर हैं।

ऋण और अन्य देयताएं

राजस्व पर अपेक्षा व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए सरकार आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से उधार का सहारा लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता हे। इसके अलावा, लोक लेखा में प्रोद्भवन भी सरकार के घाटे के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में भी काम करता है।

31 मार्च, 2023 को सरकार की कुल देनदारी ₹1,46,53,035 करोड़ था। आंतरिक ऋण ₹1,30,73,732 करोड़ (89%), बाह्य ऋण (ऐतिहासिक मूल्य पर) ₹4,93,157 करोड़ 3% और अन्य देयताएं ₹10,86,146 करोड़ (8%) था।

भारत सरकार के ऋण और अन्य देयताएं

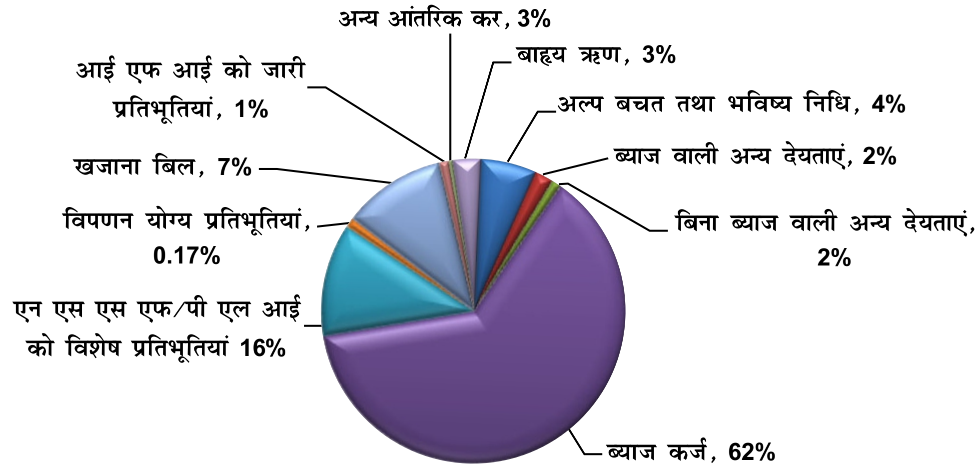

31 मार्च 2023 तक, कुल सार्वजनिक ऋण (ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया बाह्य ऋण) ₹1,35,66,889 करोड़ था। वर्ष के प्रारंभ में सार्वजनिक ऋण ₹1,19,01,697 करोड़ से वर्ष के दौरान 14% बढ़ गया। 31.03.2023 को चाल विनिमय दर पर लोक ऋण ₹1,38,22,188 करोड़ था जबकि 31.3.2022 को यह ₹1,21,20,677 करोड़ था।

आंतरिक ऋण

आंतरिक ऋण के मुख्य संघटक बाजारकर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां, 1.4.1999 से अल्प बचतों के निवल संग्रहण की तुलना में केन्द्र सरकार को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड आदि हैं। इसके अतिरिक्त, खजाना बिलों से उधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि को जारी की गई प्रतिभूतियों भी आंतरिक ऋण का भाग होती है।

वर्ष के आरंभ में आंतरिक ऋण की कुल राशि वर्ष के प्रारंभ में ₹1,14,62,343 करोड़ थी जोकि वर्ष के अंत में बढ़कर ₹1,30,73,732 करोड़ हो गई। बाजार कर्जों में ₹10,98,508 करोड़ से वृद्धि होकर वह ₹91,25,233 करोड़ हो गए।

आंतरिक ऋण (₹ करोड़)					
स्रोत	1 अप्रैल, 2022	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2023	वृद्धि/कमी
बाजार कर्ज	80,26,725	15,08,066	4,09,558	91,25,233	10,98,508
अ.वि.सं. को जारी प्रतिभूतियां	1,01,329	912	5,616	96,625	-4,704
364 दिन के खजाना बिल	4,07,796	4,45,284	4,07,796	4,45,284	37,488
अर्थोपाय अग्रिम	-	1,06,273	57,596	48,677	48,677
14 दिन के खजाना बिल	2,16,766	48,68,275	48,71,057	2,13,984	-2,782
विक्रेय प्रतिभूतियां	33,360	-	8,672	24,688	-8,672
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (31.3.99)	64,569	-	-	64,569	-
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (1.4.99)	12,09,422	3,50,809	1,37,680	14,22,551	2,13,129
पीएलआई के अतर्गत शेष राशियों के बदले जारी केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियां	20,894	9,894	9,894	20,894	-
अन्य	13,81,482	14,81,648	12,51,903	16,11,227	2,29,745
कुल आंतरिक ऋण	**1,14,62,343**	**87,71,161**	**71,59,772**	**1,30,73,732**	**16,11,389**

बाह्य ऋण

वर्ष 2022-23 के अंत में बाह्य ऋण का स्टॉक (ऐतिहासिक विनिमय दरों पर) ₹4,93,157 करोड़ था जो कुल बकाया ऋण का 3.63% होता है। वर्तमान विनिमय दर पर (31.3.2023) की स्थिति के अनुसार यह ₹7,48,456 करोड़ है।

बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
स्रोत	ऐतिहासिक विनिमय दरों पर					
	01-अप्रैल 2022	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 2023	वृद्धि/कमी	वर्तमान मूल्य
आई.डी.ए.	39,644	5,354	15,217	29,781	-9,863	1,53,716
जापान	1,26,675	24,696	6,231	1,45,140	18,465	1,69,246
ए.डी.बी.	1,07,795	22,027	7,271	1,22,551	14,756	1,61,106
जर्मनी	8,255	1,266	1,768	7,753	-502	22,594
आईबीआरडी	87,716	22,097	7,853	1,01,960	14,244	1,35,647
आईएफएडी	2,088	161	206	2,043	-45	3,915
संयुक्त राज्य अमरीका	-557	84	101	-573	-18	274
अन्य	67,738	18,047	1,282	84,503	52,186	1,01,958
कुल बाह्य ऋण	**4,39,354**	**93,732**	**39,929**	**4,93,157**	**53,803**	**7,48,456**

ब्याज वाले बाजार कर्जों का परिपक्वता विवरण परिशिष्ट-9 पर है।

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण
(₹ करोड़)

स्रोत	मुद्रा	1 अप्रैल, 2022	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2023	वृद्धि/कमी
एडीबी	अमरीकी डालर	1,799	272	91	1,960	181
जर्मनी	यूरो	260	15	21	254	-6
आईबीआरडी	अमरीकी डालर	1,494	255	98	1,651	157
आईडीए	अमरीकी डालर	329	35	30	334	5
आईडीए	एसडीआर	1,261	..	120	1141	-120
जापान	येन	2,41,010	38,538	10,477	2,69,071	2,8061
रूसी परिसंघ	₹	426	..	28	398	-27
रूसी परिसंघ	अमरीकी डालर	245	60	..	305	60

लोक लेखे की देयताएं

31 मार्च, 2023 को लोक लेखे में ₹10,86,146 करोड़ की कुल देयताएं था। ब्याज वाली देयताएं ₹8,11,799 करोड़ की थी और शेष ₹2,74,347 करोड़ की देयताएं बिना ब्याज वाली था।

लोक लेखे की देयताएं
(₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल, 2022	वृद्धि	उन्मोचन	31 मार्च, 2023	वृद्धि/कमी
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि *	6,01,446	16,68,420	17,21,857	5,48,009	-53,437
अन्य ब्याज वाली देयताएं	2,48,846	99,002	84,058	2,63,790	14,944
आरक्षित निधि	13,173	57,918	57,248	13,843	670
जमा	2,35,673	41,084	26,810	2,49,947	14,274
अन्य बिना-ब्याज वाली देयताएं	1,70,919	10,17,117	9,13,689	2,74,347	1,03,428
आरक्षित निधि	70,027	7,20,016	6,51,883	1,38,160	68,133
जमा	1,00,892	2,97,101	2,61,806	1,36,187	35,295
कुल	**10,21,211**	**27,84,539**	**27,19,604**	**10,86,146**	**64,935**

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

भारत के लोक लेखे में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को 1.4.1999 को स्थापित किया गया था। इस निधि में धन अल्प बचत स्कीमों के अभिदाताओं से प्राप्त किया जाता है और इसमें उपलब्ध शेष को केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेश का स्वरूप भारत सरकार के समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होता है। 1 अप्रैल, 2002 से, अल्प-बचतों के समग्र निवल संग्रहण को सबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रें से प्राप्त संग्रहणों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडलों वाले) की विशेष प्रतिभूतियों में पुन: निवेश किया जाता है।

* 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार पर अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि के कारण कुल देयता ₹11,18,661 करोड़ हैं। इसमें से ₹14,660 करोड़ संचयी घाटा है, विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में ₹3,53,834 करोड़ का निवेश किया गया, विभिन्न सरकारी उपक्रमों में ₹85,350 करोड़ का निवेश किया गया और पोलिफ से संबंधित ₹1,16,808 करोड़ का निवेश निजी फंड मैनेजरों के साथ किया गया जिससे इस मद में बकाया निवल देयता ₹5,48,009 करोड़ होती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि संग्रहण (निवल) ₹3,05,369 करोड़ था। इस अवधि के दौरान निधि की आय (इसके निवेशों पर) और व्यय क्रमशः ₹2,00,709 और ₹1,74,225 करोड़ था। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के निवेश में ₹5,38,544 करोड़ की वृद्धि हुई। इस प्रकार, इस निधि के अंतर्गत शेष राशि जो कि वर्ष के आरंभ में ₹60,223 करोड़ थी वह वर्ष के अंत में घटकर ₹33,532 करोड़ हो गई।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

(₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल, 2022	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2023	वृद्धि/कमी
अंतर्वाह	**24,20,643**	**13,25,618**	**8,19,540**	**29,26,721**	**5,06,078**
संग्रहण	24,20,643	11,24,909	8,19,540	27,26,012	305,369
बचत जमा	12,52,537	9,00,414	7,33,988	14,18,963	1,66,425
बचत प्रमाण-पत्र	3,33,958	76,539	42,897	3,67,600	33,643
लोक भविष्य निधि	8,34,148	1,47,956	42,655	9,39,449	1,05,301
निवेश से आय	-	2,00,709	-	2,00,709	2,00,709
बहिर्वाह	**23,60,421**	**1,89,022**	**7,21,791**	**28,93,189**	**5,32,769**
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का निवेश	23,60,421	1,89,022	5,47,565	27,18,964	3,58,544
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	18,83,920	1,37,680	5,33,540	22,79,780	3,95,860
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	3,90,929	50,772	13,676	3,53,834	-37,096
अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश	85,570	570	350	85,350	-220
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का व्यय	..	..	1,74,225	1,74,225	1,74,225
शेष	**60,223**	**11,36,596**	**97,749**	**33,532**	**-26,691**

31 मार्च 2023, की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अभिदाताओं के संबंध में, निधि के कुल स्टॉक में ₹27,26,012 करोड़ की दयेताएं थी, जिनमें से ₹14,18,963 करोड़ बचत जमाओं के तहत, ₹3,67,600 करोड़ बचत प्रमाण-पत्रों के तहत और ₹9,39,449 करोड़ सार्वजनिक भविष्य निधि के रूप में रखे गए हैं। वर्ष 2022-23 के अंत में निधियों का निवेश ₹27,18,964 करोड़ था, जिसमें से, ₹3,53,834 करोड़ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में ₹22,79,780 करोड़ केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में और ₹85,350 करोड़ अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश किए गए हैं।

आकस्मिक देयताएं

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करें, गारंटियां दे सकती है। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली में यह अनुबंध किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से आरंभ होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक धनराशि के लिए गारंटी नहीं देगी।

गारंटियों का विवरण 01.04.2010 से प्रभावी संगत 'भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों' के अनुसार है।

इन प्रावधानों के अधीन, सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उनके उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, उसकी शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी तथा उधार के आधार पर सामग्रियों और उपकरणों की आपूर्तियों को शामिल किया जाता है जिन्हें ऐसी गारंटियों के लाभार्थियों द्वारा कोई चूक होने के स्थिति में भारत की समेकित निधि से उन्मोचित किया जाता होता है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया था, ₹5,80,247 करोड़ थी और ₹3,14,294 करोड़ की कुल गारंटियां बकाया था। वर्ष 2022-23 के लिए गांरटियों की निवल कमी ₹2,05,105 करोड़ है जोकि जीडीपी का 0.75% है। सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान गारंटी शुल्क के रूप में ₹2,872 प्राप्त किए थे, जिसकी तुलना में इस वर्ष ₹1394.17 करोड़ प्राप्त हुए।

सरकार की गारंटियां

(₹ करोड़)

	विवरण	31-मार्च-22	31-मार्च-23	वृद्धि/कमी
I	भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को मूलधन और ब्याज आदि के पुनर्अदायगी के लिए गारंटियां।	98,484	62,209	36,275
II	सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थानों को शेयर पूंजी के पुनर्अदायगी, न्यूनतम लाभांश के अदायगी, बांडों/ऋणों की अदायगी आदि के लिए गारंटियां।	66,514	83,338	-16,824
III	मूलधन की पुनर्अदायगी, ऋण आदि पर ब्याज/प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान और कंपनियों, निगमों, पत्तन न्यासों आदि को पूर्ति संबंधी करारों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी ऋणदाता आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में गारंटियां।	3,54,401	1,56,195	1,98,206
IV	कंपनियों/निगमों को आपूर्ति के लिए विदेशी पूर्तिकर्ताओं को प्राधिकार पत्र के लिए बैंकों को प्राति-गारंटियां।	-	-	-
V	रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को	-	-	-
VI	विदेशों में भारतीय कंपनियों को प्रदान की गई संविदाओं/ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटी।	-	12,552	-12,552
VII	कोई अन्य	-	-	-
VIII	**कुल**	**5,19,399**	**3,14,294**	**2,05,105**

विनियोग लेखे

वर्ष 2022-23 के लिए संघ सरकार के सिविल मंत्रलयों के लिए 98 अनुदानों के अंतर्गत ₹1,11,18,798 करोड़ के कुल प्रावधान का अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रावधान को वर्ष के दौरान ₹6,63,900 करोड़ के पूरक अनुदान के माध्यम से बढ़ाकर ₹1,18,45,788 कर दिया गया। अंतिम प्रावधान ₹1,18,45,788 करोड़ था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ₹4,26,003 करोड़ (4%) अधिक था।

इस प्रावधान के अंतर्गत वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय ₹1,18,45,788 करोड़ था। प्रभारित अंश के अंतर्गत व्यय ₹83,79,339 करोड़ था जिसमें ₹27,508 करोड़ का अधिक व्यय शामिल है, जबकि स्वीकृत हिस्से के अंतर्गत व्यय ₹31,66,972 करोड़ था, जिसमें ₹3,26,985 करोड़ की बचतें शामिल हैं।

विनियोग लेखे (सिविल) का सार

(₹ करोड़)

	मूल प्रावधान	अंतिम प्रावधान	अंतर	वास्तविक व्यय	अंतर
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)=(4)-(2)
प्रभारित	82,75,950	83,51,831	75,881	83,79,339	(+) 27,508
स्वीकृत	29,05,848	34,93,957	5,88,109	31,66,972	(-) 3,26,985
कुल	**1,11,81,798**	**1,18,45,788**	**6,63,990**	**1,15,46,311**	**(-) 2,99,477**

स्वीकृत व्यय कुल व्यय का 27% था, शेष 73% प्रभारित व्यय था।

प्रभारित व्यय

वर्ष 2022-23 के दौरान सिविल मंत्रलयों के प्रभारित व्यय में मुख्य रूप से 'ऋण की पुर्नअदायगी' (₹71,99,701 करोड़), ब्याज अदायगी (₹9,72,715 करोड़) और राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को अंतरण (₹2,00,948 करोड़) था। ये तीनों मिलकर कुल प्रभारित व्यय का 99.93% होते हैं। विनियोग – ''ऋण की पुर्नअदायगी'' में विभिन्न परिपक्वताओं के खजाना बिलों के उन्मोचन और अर्थोपाय अग्रिमों संबंधी ₹65,73,014 करोड़ की राशि शामिल है।

अधिक व्यय

अनुदानों के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में कुल प्रावधानों की तुलना में अधिक व्यय का एक दृष्टांत थे।

बजट प्रावधान की अपेक्षा अधिक व्यय (₹ करोड़)							
अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		वास्तविक व्यय		अधिक व्यय	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
40	कर्ज की पुनर्अदायगी *प्रभारित*	-	*71,45,830*	-	*71,99,701*	-	*53,871*

बचत

वर्ष 2022-23 के दौरान, सिविल अनुदानों/विनियोगों के संबंध में ₹353,347 करोड़ की बचतें हुईं। कुल ₹53,871 करोड़ का अधिक व्यय भी हुआ। निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें हुईं।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
1	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	राजस्व स्वीकृत	22396	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रें से लाभार्थियों का डेटा प्राप्त न होने, कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत राज्यों और किसानों का नामांकन कम होने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण।
13	दूरसंचार विभाग	पूंजीगत स्वीकृत	7518	4जी मशीनरी तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और राज्य तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों वाले मोडल की गति धीमी होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व स्वीकृत	12515	वित्त मंत्रालय द्वारा स्कीम का केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) में पुनः वर्गीकरण किए जाने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) स्कीम को बंद किए जाने तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण।
25	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व स्वीकृत	14659	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (मस्क) की लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में देरी होने, स्कीम का प्रचालन न होने, राज्य सरकारों से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने तथा समग्र शिक्षा-प्रारंभिक शिक्षा और

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
				माध्यमिक शिक्षा के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।
27	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	5288	निधि प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया का कार्यान्यवन होने की वजह से पहली दो तिमाहियों में कम व्यय होने, अनुदानग्राही निकायों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण।
37	अप्रत्यक्ष कर	राजस्व स्वीकृत	6426	दावा प्रक्रिया का ज्ञान न होने की वजह से निर्यातकों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने, न्यायिक तथा अर्ध-न्यायिक मामलों का समाधान न होने और निर्यात के पत्तन पर सीमा-शुल्क द्वारा की गई आपत्तियों और पहचानी गई अन्य कमियों की वजह से कुछ शिपिंग बिलों की स्क्रोलिंग न होने के कारण।
42	राज्यों को अंतरण	राजस्व प्रभारित	19348	उपबंधित शर्तों का अनुपालन न होने की वजह से राज्यों को कम निधियां जारी किए जाने, पंद्रहवें वित्त आयोग की उपबंधित शर्तों को पूरा न किए जाने तथा कुछ राज्यों के लिए नोडल मंत्रालयों से सिफारिशें प्राप्त न होने के कारण।
		राजस्व स्वीकृत	25537	राज्यों से निधि जारी किए जाने हेतु कम प्रस्ताव प्राप्त होने, बड़ी मात्र में टीकाकरण कवरेज की वजह से कोविड-19 टीकाकरण हेतु अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और राज्य सरकारों को कम सहायता की आवश्यकता की वजह से संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।
		पूंजीगत स्वीकृत	18805	राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण।
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	राजस्व स्वीकृत	11891	राज्य सरकारों से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने, पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने तथा व्यय की गति धीमी होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें	कारण
सं.	विवरण		(₹ करोड़)	
62	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	राजस्व स्वीकृत	6588	परियोजना लागत में संशोधन किए जाने, कार्य की धीमी गति होने, नई परियोजनाओं को शामिल नहीं किए जाने, एकल नोडल एजेंसी दिशानिर्देशों का अनुपालन न होने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने की वजह से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण।
63	पेयजल और स्वच्छता विभाग	राजस्व स्वीकृत	74623	केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से निधियों को निर्दिष्ट न किए जाने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।
79	विद्युत मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	8211	राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कोम)/विभागों से समग्र परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने में विलंब की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने तथा केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि का इस्तेमाल बंद किए जाने के कारण।
87	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व स्वीकृत	6123	राज्य सरकारों से कम निधि अंतरण आदेश प्राप्त होने तथा कम प्रस्ताव प्राप्त होने, स्कीम के मांग प्रेरित होने के कारण।
93	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	5071	राज्य सरकारों द्वारा एकल नोडल एजेंसी के कार्यान्वयन में देरी होने, कम प्रस्ताव प्राप्त होने, कम प्रशासनिक खर्चे और राज्यों द्वारा प्रस्ताव/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब के कारण हुई।
98	वस्त्र मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	9008	न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन के अंतर्गत कपास की अधिप्राप्ति न होने के कारण।

₹100 करोड़ और इससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-10 पर है।

शब्दावली

आंकड़े प्रदाता संगठन

इस पुस्तिका में जो वित्तीय विवरण और लेखे प्रस्तुत किए गए हें वे भारत सरकार और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। अन्य सरकारी संगठनों जैसे राज्य सरकारों, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यमों, स्वायत्त निकायों आदि के लेखों को शामिल नहीं किया गया है।

लेखे अनुच्छेद 151 (1) के अधीन सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

लेखों का स्वरूप और विषय-वस्तु

संविधान के अनुच्छेद 150 में ''नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें'' सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां 'कार्य का आवंटन नियमावली' के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रत्यायोजित की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 तैयार की गई है जिसमें सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

सरकारी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है, उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सरकारी राजस्वों जिनमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उधार दी गई राशियों से होने वाली आय शामिल है, को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सरकार द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी धनराशियां लोक लेखे में जमा कर दी जाती हैं। सभी सरकारी व्यय भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

सरकार के पास संसद के प्राधिकार के बिना अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि भी रखी जाती है। वर्ष 2021-22 में आकस्मिकता निधि में वृद्धि होकर यह ₹500 करोड़ से ₹30,000 करोड़ हो गई है।

भारत की समेकित निधि में से धनराशियों का विनियोग अनुच्छेद 112 से 117 में समाविष्ट संविधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

लेखाकरण का रोकड़ आधार

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। राजस्वों और व्ययों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें वे वसूल अथवा किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान सराकार को देय या सरकार द्वारा देय राशियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती।

सरकारी लेखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्ज किया जाता है:

(क) सरकारी रोकड़ शेष में उसमें से होने वाले नकदी प्रवाह का रख-रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है,

(ख) सरकारी देयताओं (लोक ऋण और लोक लेखे पर लेन-देने) और वित्तीय परिसम्पत्तियों (कर्ज और अग्रिम) का भंडार, और

(ग) कुछ नकदीतर लेनदेन (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के बीच अंतः निधि अंतरण, वस्तु के रूप में बाह्य सहायता, हानियों को बट्टे खाते डालना और पिछले कर्जो को अनुदान में परिवर्तित करना आदि)।

वित्तीय विवरण और लेखे पारंपरिक लागत की परंपरा के अनुसार रखे जाते हैं। बाह्य ऋण को ऋण करार करने के समय लागू विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से, सरकारी वित्तीय निवेशों (इक्विटी और कर्जो) को उनके ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य की हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

लेखाकरण का आधार रोकड़ होता है, अतः भौतिक परिसंपत्तियों को मूल्यह्रासित अथवा परिशोधित नहीं किया जाता। भौतिक परिसंपत्तियों का जीवन समाप्त होने पर उनकी हानियों तथा बट्टे खाते डाले जाने को भी मान्य अथवा व्ययित नहीं किया जाता।

यहां प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में उन सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता लाभों से संबंधित सरकार की देयता शामिल नहीं है जो पेंशन की परिभाषित लाभ स्कीम के अंतर्गत आते हैं और उन्हें 'आपके जाने पर अदायगी' आधार पर अदायगी की जाती है।

लेखाकरण अवधि

लेखों के लिए अप्रैल से मार्च का वार्षिक बजटीय चक्र अपनाया जाता है।

मुद्रा

लेखे भारतीय रुपए में रखे जाते हैं। विदेशी मुद्रा लेन देनों (प्राप्तियां और अदायगियां दोनों) को भी लागू परिवर्तन दरों पर भारतीय रुपयों में दर्ज किया जाता है।

राजस्व लेखे पर राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय

राजस्व प्राप्तियों में, परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर सभी कर और करेतर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

राजस्व व्यय आवर्ती स्वरूप के व्यय होते हैं और उन्हें राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को अंतरण अदायगियां, जिनमें प्राप्तकर्ता द्वारा परिसम्पत्ति सृजन के लिए निर्धारित अंतरण अदायगियां भी शामिल हैं, को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत लेखे पर पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय

पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई आय शामिल होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से हुई आय भी शामिल होती है।

पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो सामग्री और स्थायी स्वरूप को ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इसमें अचल परिसंपत्तियों, मशीनरी और उपकरण तथा सरकारी इक्विटी निवेश के अर्जन पर किए गए व्यय शामिल होते हैं। सरकार के ऋण प्रचालन को भी पूंजीगत व्यय माना जाता है।

विनिमय दर में घट-बढ़

विदेशी कर्जो को पारंपरिक विनिमय दर अर्थात ऋण के करार के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। इस प्रकार के कर्जों की पुर्नअदायगियों को भी पुर्नअदायगी के समय प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विनियम दर में घट-बढ़ के कारण बाह्य कर्जों पर हानि/लाभ को कर्ज की पूर्ण अदायगी के पश्चात ''8680 - विविध सरकार लेखे'' को व्ययित किया जाता है।

बाह्य सहायता

सहायता सामग्री, उपस्कर या अन्य आपूर्तियों के रूप में बाह्य सहायता को भी इस प्रकार की सहायता के मूल्य के रूप में जाना जाता है और प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए ऐसी सामग्री के आवंटन अथवा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में संवितरण को राजस्व व्यय में दर्ज किया जाता है।

लेखाकरण मानक

गारंटी विवरण गारंटी प्रकटन अपेक्षाओं से संबंधित 'भारतीय गारंटी लेखाकरण मानक' के अनुसरण में है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) का अंतर है। राजकोषीय घाटे के तत्व हैं (क) राजस्व घाटा, जो कि सरकार के वर्तमान (या राजस्व) व्यय एवं

कुल वर्तमान प्राप्तियों (अर्थात उधार को छोड़कर) और (ख) पूंजीगत व्यय का अंतर है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण भारतीय रिजर्व बैंक से उधार (जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा धन जुटाना भी कहा जाता है) और बाजार उधार (मुद्रा बाजार अर्थात् मुख्यत: बैंकों से) द्वारा किया जा सकता है।

प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी व्याख्य सरकार के ब्याजेतर व्यय की प्राप्तियों से अधिकता के रूप में की जा सकती है।

प्रभावी राजस्व घाटा

प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए सृजन के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय और (राजस्व लेखे पर) और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान, जिसे राजस्व व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों का अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपनी प्राप्तियों एवं अदायगियों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल होने की स्थिति को समाप्त कर सकें। ऐसे अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत 'प्रत्येक मामले में उस अग्रिम को देने की तारीख से 3 माह तक प्रतिदेय' होते हैं। दो प्रकार के अर्थोपाय अग्रिम होते हैं – सामान्य और विशेष।

बजट प्रावधान (बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान)

बजट अनुमान उस वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष को सरकार का व्यय एवं प्राप्ति प्रावधान होता है जिसे सामान्यत: वित्तीय वर्ष शुरू होने से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसी वर्ष के बजट दस्तावेज में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान भी दर्शाए जाते हैं जो कि सरकार का कमोबेश वास्तविक अनुमानित व्यय होता है। तथापि, वास्तविक व्यय या वास्तविक का संकलन वर्ष के दौरान किए गए सरकार के यथार्थ व्यय को हिसाब में लेने के बाद किया जाता है और इसे वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों में दर्शाया जाता है।

उधार

सरकार, सरकार के घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से उधार लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत लोक लेखा भी होता है। आंतरिक उधार में मुख्य रूप से बाजार कर्जे शामिल होते हैं।

लेखों की संरचना

सरकारी लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

I. भारत की समेकित निधि

सरकार द्वारा आयकर, माल एवं सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू-राजस्व (कर राजस्व) जैसे कराधान से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व और रेलवे, डाक, परिवहन, आदि से प्राप्ति (करेतर राजस्व) जैसे सरकारी कार्यों से सरकार को होने वाली अन्य प्राप्तियां को समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से, सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जारी करके प्राप्त किए गए सभी कर्जों, खजाना बिलों (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं से प्राप्त कर्जों (बाह्य ऋण) तथा सरकार को कर्जों की पुर्नअदायगी और उस पर ब्याज के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशियों को भी इस निधि में जमा कर दिया जाता है। आंतरिक और बाह्य ऋण की पुर्नअदायगी और विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का कर्ज जारी किए जाने सहित अपने कार्य के लिए सरकार द्वारा किए गए समस्त व्यय को इस निधि के नामे डाला जाता है।

भारत की समेकित निधि संबंधी लेनदेनों को 6 - स्तरीय सौपानिक ढांचे वाले कार्यों एवं कार्यक्रमों (जोकि अधिकांशत: विकास के योजना शीर्ष के अनुरूप होते हैं और ऐसा न होने पर संवैधानिक और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं) में विभाजित कार्यात्मक वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- मुख्य शीर्ष - सरकार के मुख्य कार्य का द्योतक है।
- उप-मुख्य शीर्ष - सरकार के उप-कार्य का द्योतक है।
- लघु शीर्ष - सरकार के कार्यक्रम का द्योतक है।
- उप शीर्ष - स्कीम का द्योतक है।
- ब्योरेवार शीर्ष - उप स्कीम का द्योतक है, और
- वस्तुगत शीर्ष - व्यय के उद्देश्य के लिए (जैसे वेतन, कार्यालय व्यय)

व्यय लेनदेनों को 'योजना' और 'गैर-योजना' अथवा 'स्वीकृत' या 'प्रभारित' व्यय में भी वर्गीकृत किया जाता है।

II. भारत की आकस्मिकता निधि

यह निधि अग्रदाय स्वरूप की होती है और उसे भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को संसद से उसे प्राधिकृत कराए जाने तक लंबित रखकर पूरा कर सके। इस धनराशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने और साथ हुए कार्यान्वित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में, संसद का अलग सत्र बुलाए जाने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कीम/परियोजना पर किए जाने कुल व्यय को दर्शाते हुए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा विधेयक को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात्, आकस्मिकता निधि में से पहले ही खर्च की जा चुकी धनराशि की संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष आदि में व्यय नामे डालकर भारत की समेकित निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

III. भारत का लोक लेखा

सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त सार्वजनिक धनराशि, उन धनराशियों से भिन्न जो भारत की समेकित निधि में जमा की जाने वाली हैं, लोक लेखे के अंतर्गत लेखाबद्ध की जाती है। लोक लेखे में जमा की जाने वाली प्राप्तियों और इसमें से किए जाने वाले संवितरणों को संसद से स्वीकृत नहीं कराया जाता। इस लेखे के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री, सामान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि में अंशदानों, सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाओं और बयाना जमाओं से आती हैं। इन प्राप्तियों के संबंध में, सरकार बैंकर या न्यासी की भूमिका निभाती है और संविदा/कार्य पूरा होने के बाद धनराशि वापस करती है। लोक लेखे में विभिन्न उचंत और प्रेषण शीर्ष भी शामिल होते हैं।

लोक लेखे संबंधी लेन देनों को प्राप्तियों और संवितरणों के रूप में दर्ज किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- अल्प बचत
- आरक्षित निधियां
- जमा और अग्रिम
- उचंत और विविध
- प्रेषण
- रोकड़ शेष

परिशिष्ट

1.	दस वर्षीय सारांश	40
2.	करेतर राजस्व	42
3.	वाणिज्यिक प्राप्तियां	43
4.	2022-23 में मुख्य स्कीमों पर व्यय की उल्लेखनीय विशेषताएं	44
5.	वर्ष 2022-2023 में मुख्य मदों पर व्यय	46
6.	वर्ष 2022-23 के लिए वेतन और भत्तों का व्यय	48
7.	सहायिकियों का विवरण (2022-23)	56
8.	मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2022-23	59
9.	ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्यौरा	74
10.	वर्ष 2022-23 के लिए ₹100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग	75
11.	2022-23 के लिए विनियोग लेखा सारांश	81
12.	वर्ष 2022-23 के लिए वस्तु शीर्षवार व्यय	90

परिशिष्ट-1

दस वर्षीय सारांश

(₹ करोड़)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियां	10,14,719	11,01,381	11,95,025	13,75,956	14,35,078	15,53,011	16,84,059	16,33,919	21,69,906	23,83,207
सकल कर राजस्व	11,34,084	12,41,424	14,49,958	17,09,372	19,15,492	20,78,665	20,07,579	20,27,104	27,09,315	30,54,192
निगम कर	3,94,678	4,28,925	4,53,229	4,84,924	5,71,202	6,63,572	5,56,876	4,57,719	7,12,037	8,25,834
वस्तु और सेवा कर					4,42,561	5,81,559	5,98,729	5,48,778	6,98,114	8,49,132
आयकर	2,37,817	2,58,325	2,80,323	3,40,505	4,08,091	4,61,488	4,80,097	4,87,143	6,96,243	8,33,260
सीमा शुल्क	1,72,085	1,88,016	2,10,338	2,25,370	1,29,030	1,17,813	1,09,283	1,34,750	1,99,728	2,13,371
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,69,455	1,89,038	2,87,148	3,80,495	2,58,636	2,30,992	2,39,452	3,89,667	3,90,808	3,19,000
सेवा कर	1,54,778	1,67,969	2,11,414	2,54,499	81,228	6,904	6,029	1,615	1,012	431
केंद्र को निवल कर राजस्व	8,15,854	9,03,615	9,43,765	11,01,372	12,42,487	13,17,211	13,56,902	14,26,287	18,04,794	20,97,786
करेतर राजस्व	1,98,865	1,97,766	2,51,260	2,74,584	1,92,591	2,35,800	3,27,157	2,07,632	3,65,112	2,85,421
ब्याज प्राप्तियां	21,868	23,712	25,378	16,229	13,574	12,145	12,349	17,113	21,874	27,852
लाभांश और लाभ	90,435	89,833	1,12,127	1,23,017	91,360	1,13,420	1,86,133	96,878	1,60,647	99,914
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	41,865	51,475	62,975	65,513	1,15,678	1,12,684	68,620	57,626	39,375	72,196
विनिवेश आय	4,231	1,415	1,249	2,921	2,802	4,449	9,010	1,725	2,936	475
व्यय	15,59,447	16,63,673	17,90,783	19,79,268	21,41,818	23,15,113	26,86,870	35,09,836	37,93,800	41,93,157
योजना व्यय	4,53,327	4,62,643	4,71,083	5,68,599	0	0	0	0		0
गैर योजना व्यय	11,06,120	12,01,030	14,10,669	14,10,669	0	0	0	0		0
राजस्व व्यय	13,71,772	14,66,992	15,37,761	16,92,986	18,78,679	20,07,399	23,50,605	30,83,519	32,00,926	34,53,132
पूंजीगत व्यय	1,87,675	1,96,681	2,53,022	2,86,282	2,63,139	3,07,714	3,36,265	4,26,317	5,92,874	7,40,025
उधार ऋणात्मक पुर्नअदायगी	6,451	15,375	5,394	19,040	11,497	24,411	26,495	2,19,922	2,07,256	1,05,785
राजकोषीय घाटा	5,02,863	5,10,817	5,32,783	5,37,799	5,91,062	6,49,418	9,34,191	18,18,291	15,84,519	17,37,754

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा	3,57,053	3,65,611	3,42,736	3,17,030	4,43,601	4,54,388	6,66,546	14,49,600	10,31,020	10,69,925
प्रभावी राजस्व घाटा	2,27,214	2,34,851	2,11,781	1,50,470	2,51,081	2,63,168	4,79,204	12,27,209	7,88,374	7,63,661
प्रारंभिक घाटा	1,29,296	1,08,373	91,124	57,085	62,110	66,770	3,22,121	11,38,422	7,79,020	8,09,237
लोक ऋण (शेष)	46,15,250	51,04,675	57,11,425	61,49,817	68,46,557	75,49,380	85,64,884	1,05,24,371	1,21,20,677	1,38,22,188
आंतरिक ऋण	42,40,767	47,38,291	53,04,836	57,41,709	64,01,275	70,74,942	80,20,490	99,09,543	1,14,62,343	1,30,73,732
बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य)	3,74,483	3,66,384	4,06,589	4,08,108	4,45,282	4,74,439	5,44,394	6,14,828	6,58,334	7,48,456
भारत सरकार की अन्य देयताएं	6,44,061	6,71,010	7,11,608	7,56,448	8,06,929	8,82,119	8,79,324	10,49,428	10,21,211	10,86,146
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)	11355073	12653762	13576000	15183709	16773000	19010000	20340000	19746000	23665000	27241000
सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत										
राजस्व प्राप्तियां	8.94	8.70	8.80	9.06	8.56	8.17	8.28	8.27	9.17	8.75
सकल कर राजस्व	9.99	9.81	10.68	11.26	11.42	10.93	9.87	10.27	11.45	11.21
वस्तु एवं सेवा कर					2.64	3.06	2.94	2.78	2.95	3.12
करेतर राजस्व	1.75	1.56	1.85	1.81	1.15	1.24	1.61	1.05	1.54	1.05
व्यय	13.73	13.15	13.19	13.04	12.77	12.18	13.21	17.77	16.03	15.39
राजस्व व्यय	12.08	11.59	11.33	11.15	11.20	10.56	11.56	15.62	13.53	12.68
पूंजीगत व्यय	1.65	1.55	1.86	1.89	1.57	1.62	1.65	2.16	2.51	2.72
राजकोषीय घाटा	4.43	4.04	3.92	3.54	3.52	3.42	4.59	9.21	6.70	6.38
राजस्व घाटा	3.14	2.89	2.52	2.09	2.64	2.39	3.28	7.34	4.36	3.93
प्रभावी राजस्व घाटा	2.00	1.86	1.56	0.99	1.50	1.38	2.36	6.21	3.33	2.80
लोक ऋण	40.64	40.34	42.07	40.50	40.82	39.71	42.11	53.30	51.22	50.74
आंतरिक ऋण	37.35	37.45	39.08	37.81	38.16	37.22	39.43	50.19	48.44	47.99
बाह्य ऋण	3.30	2.90	2.99	2.69	2.65	2.50	2.68	3.11	2.78	2.75

परिशिष्ट-2

करेतर राजस्व

(₹ करोड़)

	विवरण	2022-23 संशोधित अनुमान	2022-23 वास्तविक	2022-23 %	2021-22 संशोधित अनुमान	2021-22 वास्तविक	2021-22 %
क	**ब्याज प्राप्तियां**						
	सकल	55,562.12	59,550.41	107	38,325.92	46,163.53	120
	घटाएं- बाजार उधारों की आनुषंगिक प्राप्तियां	29,422.56	30,198.18	103	15,895.70	22,753.44	143
	ब्याज का अधित्याग	1,500.00	1,500.00	100	1,536.22	1,536.22	100
	निवल	24,639.56	27,852.23	113	20,894.00	21,873.87	105
ख	**लाभांश और लाभ**	**83,953.33**	**99,913.84**	**119**	**1,47,353.00**	**1,60,646.75**	**109**
ग	**संघ राज्य क्षेत्रों का करेतर राजस्व**	**2,235.72**	**2,190.66**	**98**	**2,530.64**	**1,744.95**	**69**
घ	**अन्य करेतर राजस्व**						
	1. राजकोषीय सेवाएं -	1,308.83	1,127.65	86	1,183.72	193.26	16
	अन्य सामान्य सेवाएं	47,518.09	48,254.21	102	36,984.32	59,345.52	160
	घटाएं - वाणिज्यिक विभाग	23,232.00	23,889.10	103	19,900.00	19,557.76	98
	घटाएं - गारंटी की माफी शुल्क	72.58	41.50	57	0.00	0.00	0
	घटाएं - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	1,000.00	0.00	0	1,000.00	0.00	0
	2. निवल सामान्य सेवाएं	23,213.51	24,323.61	105	16,084.32	39,787.76	247
	3. सामाजिक सेवाएं -	4,018.56	6,887.94	171	3,375.31	4,761.09	141
	आर्थिक सेवाएं -						
	सकल	1,38,229.88	1,39,443.13	101	1,42,208.07	1,53,572.97	108
	घटाएं- वाणिज्यिक विभाग	18,420.21	18,204.42	99	20,180.60	17,774.38	88
	घटाएं - ऋण माफी	0.00	0.00	0	996.99	996.99	100
	घटाएं - गेट प्राप्तियां	8.00	1.10	14	5.00	3.40	68
	4. निवल आर्थिक सेवाएं	1,19,801.67	1,21,237.61	101	1,21,025.48	1,34,798.20	111
	निवल कुल - अन्य करेतर राजस्व (1+2+3+4)	1,48,342.57	1,54,250.47	104	1,41,668.83	1,79,540.31	127
	सहायता अनुदान और अंशदान	2,579.82	1,887.11	73	1,344.84	1,305.96	97
	जोड़	**2,61,751.00**	**2,85,420.65**	**109**	**3,13,791.31**	**3,65,111.84**	**116**

परिशिष्ट-3

वाणिज्यिक प्राप्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	2022-23			2021-22		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
सामान्य सेवाएं						
1. कैंटीन स्टोर डिपो	23,232.00	23,889.10	102.83	19,900.00	19,557.76	98.28
आर्थिक सेवाएं						
2. दिल्ली दुग्ध योजना	335.80	274.21	81.66	340.00	308.41	90.71
3. अफीम एवं एल्केलायड फैक्टरियां	275.00	284.50	103.45	310.00	204.00	65.81
4. ईंधन निर्माण सुविधाएं	2,710.80	2,666.88	98.38	3,293.59	2,211.07	67.13
5. ईंधन माल सूची	2,488.20	3,681.08	147.94	2,478.67	3,833.18	154.65
6. भारी पानी पूल प्रबंधन	1,500.00	1,500.00	100.00	1,450.00	1,450.00	100.00
7. प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत	380.00	379.86	99.96	360.00	356.92	99.14
8. डाक प्राप्तियां	12,230.41	10,917.89	89.27	13,398.34	10,860.80	81.06
9. भारतीय रेल	2,42,892.77	2,40,176.96	98.88	2,02,000.00	1,91,367.01	94.74
जोड़	**2,86,044.98**	**2,83,770.48**	**99.20**	**2,43,530.60**	**2,30,149.15**	**94.51**

परिशिष्ट-4

2022-23 में मुख्य स्कीमों पर व्यय की उल्लेखनीय विशेषताएं

(₹ करोड़)

क्र. सं.	मंत्रालय	स्कीम	2022-23 बजट अनुमान	2022-23 संशोधित अनुमान	2022-23 वास्तविक
1	कृषि	राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना	10433.00	7000.00	5247.44
		प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	15500.00	12375.76	10296.03
		प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	68000.00	60000.00	58253.82
2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएमएम)	28859.73	28974.29	31195.61
		प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)	10000.00	8269.56	7517.64
		राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	3027.02	2182.01	2143.00
		प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	6412.00	6412.00	6185.78
3	आयुष	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	800.00	650.00	549.14
4	शिक्षा	समग्र शिक्षा	37383.36	32151.66	32151.66
		विद्यालयों में राष्ट्रीय मधयाह्न भोजन कार्यक्रम	10233.75	12800.00	12800.00
		राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	2042.95	360.67	360.67
5	महिला एवं बाल विकास	सक्षम आंगनवाणी और पोषण 2.0	20263.07	20263.07	19810.87
		मिशन वात्सल्य (बाल सुरक्षा और बाल कल्याण)	1472.17	1100.00	1028.92
		समबल	562.00	333.00	195.06
		सामर्थ्य	2622.11	1946.93	2142.86

क्र. सं.	मंत्रालय	स्कीम	2022-23 बजट अनुमान	2022-23 संशोधित अनुमान	2022-23 वास्तविक
6	आवासन और शहरी कार्य	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	28000.00	28707.01	28652.75
		राष्ट्रीय आजीविका मिशन – आजीविका	900.00	550.00	547.03
		मेट्रो परियोजनाएं	19130.00	15628.88	15628.88
		शहरी सुधाार मिशन – अमृत तथा स्मार्ट सिटी मिशन	14100.00	15300.00	15211.29
		स्वच्छ भारत मिशन – शहरी	2300.00	2000.00	1934.50
7	ग्रामीण विकास	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	73000.00	89400.00	90861.96
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	2000.00	1000.08	999.71
		राष्ट्रीय आजीविका मिशन – आजीविका	13336.42	13336.42	11537.05
		राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9652.31	9652.00	9651.99
		प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	20000.00	48422.00	44962.23
		प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	19000.00	19000.00	18996.21
8	स्वच्छता एवं पेयजल	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन/जल जीवन मिशन (जेजेएम)	60000.00	550000.00	54699.79
		स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण	7192.00	5000.00	4925.10
9	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	3965.00	3965.00	2566.96
10	कौशल विकास और उद्यमिता	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	2613.24	1611.60	1119.40
11	जल शक्ति	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमएसकेवाई)	10954.44	7084.50	5636.76
12	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सड़क निर्माण कार्य	64568.00	75044.00	74072.00
		भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	134015.00	141606.00	141103.00

परिशिष्ट-5

वर्ष 2022-2023 में मुख्य मदों पर व्यय

(₹ करोड़)

मद	प्रकार	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक
पेंशन	राजस्व	244780.00	238213.40
रक्षा	राजस्व	259500.48	256179.31
	पूंजीगत	150000	142940.00
सहायिकी			
उर्वरक	राजस्व	225220	251339.34
खाद्य	राजस्व	287194	272802.39
पेट्रोलियम	राजस्व	9171	6817.38
कृषि तथा संबंद्ध कार्याकलाप	राजस्व	76032.00	65421.43
	पूंजीगत	246.50	188.61
पीएम किसान	राजस्व	60000.00	58253.82
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	राजस्व	2017.32	653.67
	पूंजीगत	737.73	336.28
शिक्षा	राजस्व	99863.12	97193.41
	पूंजीगत	18.01	2.94
ऊर्जा	राजस्व	57718.11	51847.79
	पूंजीगत	13217.57	13868.96
स्वास्थ्य	राजस्व	73769.01	70500.02
	पूंजीगत	3582.14	3050.54
ब्याज अदायगी	राजस्व	940651.02	928517.03
पुलिस	राजस्व	115578.11	112416.71
	पूंजीगत	9293.88	8515.01
परिवहन	राजस्व	24333.05	24501.21
	पूंजीगत	366162.54	366006.95
सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार	राजस्व	36583.71	59441.04
	पूंजीगत	37522.35	55005.22

मद	प्रकार	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक
ग्रामीण विकास	राजस्व	243316.69	238396.38
राज्यों को अंतरण	राजस्व	185524.20	180688.82
	पूंजीगत	85411.40	92704.53
संघ राज्य क्षेत्र	राजस्व	63754.84	62089.87
	पूंजीगत	5284.70	3817.18
शहरी विकास	राजस्व	50864.75	50432.46
	पूंजीगत	23680.89	26877.77
कर प्रशासन	राजस्व	45701.30	34942.48
	पूंजीगत	1642.02	1127.15
जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि को अंतरण	राजस्व	130000	171361.80
वित्त	राजस्व	9392.13	7993.03
	पूंजीगत	8515.58	3557.81
वैज्ञानिक विभाग	राजस्व	20838.09	19658.17
	पूंजीगत	4787.92	4383.25
समाज कल्याण	राजस्व	46211.24	40237.43
	पूंजीगत	291.03	232.16
वाणिज्य एवं उद्योग	राजस्व	35033.93	41681.46
	पूंजीगत	2506.53	2681.88
विदेश मामले	राजस्व	15789.10	15487.56
	पूंजीगत	1183.69	1173.39
योजना और सांख्यिकी	राजस्व	6176.59	4551.43
	पूंजीगत	32.03	8.14
अन्य	राजस्व	33945.00	33259.39
	पूंजीगत	14157.05	13547.36
जोड़	**राजस्व**	**3458958.79**	**3453132.00**
	पूंजीगत	**728273.56**	**740025.13**

परिशिष्ट-6

वर्ष 2022-23 के लिए वेतन और भत्तों का व्यय

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	369.52
2	कृषि अनुसंधाान और शिक्षा विभाग	11.59
	परमाणु विभाग	
3	परमाणु ऊर्जा	4,628.71
	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	
4	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	27.21
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
5	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	19.66
6	उर्वरक विभाग	25.26
7	औषध विभाग	14.68
	नागर विमानन मंत्रालय	
8	नागर विमानन मंत्रालय	184.87
	कोयला मंत्रालय	
9	कोयला मंत्रालय	28.73
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
10	वाणिज्य विभाग	449.35
11	उद्योग संवर्धान और आंतरिक व्यापार विभाग	315.16

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	संचार मंत्रालय	
12	डाक विभाग	19,099.03
13	दूरसंचार विभाग	584.13
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
14	उपभोक्ता मामले विभाग	86.31
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	76.26
	सहकारिता मंत्रालय	
16	सहकारिता मंत्रालय	10.85
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	
17	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	174.90
	संस्कृति मंत्रालय	
18	संस्कृति मंत्रालय	459.34
	रक्षा मंत्रालय	
19	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	7,163.24
20	रक्षा मंत्रालय (रक्षा सेवा राजस्व)	1,65,245.00
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	28.08
	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	
24	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	497.38
	शिक्षा मंत्रालय	
25	स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग	28.99
26	उच्चतर शिक्षा विभाग	114.58

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
27	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	992.52
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	
28	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	302.44
	विदेश मंत्रालय	
29	विदेश मंत्रालय	2,496.64
	वित्त मंत्रालय	
30	आर्थिक कार्य विभाग	115.15
31	व्यय विभाग	141.06
32	वित्तीय सेवाएं विभाग	120.20
34	निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	12.82
35	राजस्व विभाग	456.48
36	प्रत्यक्ष कर - सीबीडीटी	5,215.38
37	अप्रत्यक्ष कर - सीबीआईसी	6,118.25
38	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	4,788.96
33	लोक उद्यम विभाग	10.34
	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	
43	मत्स्य पालन विभाग	61.30
44	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभाग	115.51
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	20.43

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	3,363.79
47	स्वास्थ्य अनुसंधाान विभाग	5.02
	भारी उद्योग मंत्रालय	
48	भारी उद्योग विभाग	21.30
	गृह मंत्रालय	
49	गृह मंत्रालय	1,751.76
50	मंत्रिमंडल	157.58
51	पुलिस	86,072.61
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	
60	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1711.15
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
61	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	343.5
	जल शक्ति मंत्रालय	
62	जल संसाधान, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	755.14
63	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	18.74
	श्रम और रोजगार मंत्रालय	
64	श्रम और रोजगार मंत्रालय	423.86
	विधि और न्याय मंत्रालय	
65	विधि और न्याय	194.97

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
66	निर्वाचन आयोग	65.92
67	भारत का उच्चतम न्यायालय	297.87
	सूक्ष्म, लघु और मधयम मंत्रालय	
68	सूक्ष्म, लघु और मधयम मंत्रालय	151.69
	खान मंत्रालय	
69	खान मंत्रालय	883.87
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
70	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	47.85
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
71	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	28.31
	पंचायती राज मंत्रालय	
72	पंचायती राज मंत्रालय	13.06
	संसदीय कार्य मंत्रालय	
73	संसदीय कार्य मंत्रालय	15.38
	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	
74	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	943.84
75	केंद्रीय सतर्कता आयोग	32.98
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
76	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	29.74
	योजना मंत्रालय	
77	योजना मंत्रालय	70.83

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	
78	पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	158.06
	विद्युत मंत्रालय	
79	विद्युत मंत्रालय	151.10
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय	
80	राष्ट्रपति सचिवालय	41.21
81	लोक सभा	494.82
82	राज्य सभा	277.99
83	उप-राष्ट्रपति सचिवालय	4.91
84	संघ लोक सेवा आयोग	136.10
	रेल मंत्रालय	
85	रेल मंत्रालय	91,278.50
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
86	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	104.63
	ग्रामीण विकास मंत्रालय	
87	ग्रामीण विकास विभाग	49.86
88	भू-संसाधान विभाग	11.66
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
89	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	405.17
90	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	25.20
91	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	12.03

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	कौशल विकास और उद्यमियता मंत्रालय	
92	कौशल विकास और उद्यमियता मंत्रालय	136.45
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
93	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	53.46
94	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	13.49
	अंतरिक्ष मंत्रालय	
95	अंतरिक्ष विभाग	2,942.14
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
96	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	466.85
	इस्पात मंत्रालय	
97	इस्पात मंत्रालय	26.94
	वस्त्र मंत्रालय	
98	वस्त्र मंत्रालय	194.08
	पर्यटन मंत्रालय	
99	पर्यटक मंत्रालय	40.74
	जनजातीय कार्य मंत्रालय	
100	जनजातीय कार्य मंत्रालय	25.34
	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	
101	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	41.04

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	
102	युवा कार्यक्रम और मंत्रालय	33.04
	संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमण्डल वाले)	
52	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2067.38
53	चंडीगढ़	2,648.35
54	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	450.36
55	लद्दाख	1,366.51
56	लक्षद्वीप	399.09
	जोड़	**4,22,067.57**

परिशिष्ट-7

सहायिकियों का विवरण (2022-23)

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
मुख्य सहायिकियां ----------			**206831.09**	**287194.05**	**272802.38**
खाद्य सहायिकी	15	2408	206831.09	287194.05	272802.38
उर्वरक सहायिकी			**105222.32**	**225220.16**	**251339.36**
क. यूरिया सहायिकी	6	2852	63222.32	154097.93	165217.13
ख. पोषक तत्व संबंधी सहायिकी	6	2401	42000.00	71122.23	86122.23
पेट्रोलियम सहायिकी			**5812.50**	**9170.50**	**6817.37**
एलपीजी सहायिकी	75	2802	5812.50	9170.50	6817.37
कुल मुख्य सहायिकी			**317865.91**	**521584.71**	**530959.11**
ब्याज सहायिकियां ------------					
किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता	1	2416, 2552	0.00	0.00	0.00
आवास ऋणों पर ब्याज सहायता के लिए आवास बैंक को सहायिकी	32	2885	0.01	..	0.00
वरिष्ठ नागरिकों संबंधी पेंशन योजना के लिए भारतीय बीमा निगम को ब्याज सहायिकी	32	2235	94.56	111.54	111.54
ब्याज समीकरण योजना	10	3453	2621.50	2376.02	3118.01
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) - के लिए ऋण संबंद्ध सहायिकी स्कीम (सीएलएसएस) - I	60	2216	0.01	11221.73	10820.94

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए ऋण संबंद्ध सहायिकी स्कीम (सीएलएसएस)- II	60	2216			0.00
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत ब्याज सहायिकी	87	2216	0.01	0.01	0.00
उच्चतर शिक्षा विभाग में गारंटी निधियों के लिए ब्याज सहायिकी और अंशदान	26	2202	1400.00	1070.00	873.49
ऋण सहायता कार्यक्रम	68	2851	0.08	0.08	8000.00
अल्पसंख्यक मामलों के अंतर्गत समुद्रपार के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायिकी	70	2235	24.00	24.00	24.00
संशोधित ऋण सबवेंशन स्कीम	1	2416	19500.00	22000.00	17997.88
एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन योजना	68	2851	0.04		0.00
राष्ट्रीय विद्युत निधि पर ब्याज सहायिकी	79	2801	582.89	582.89	582.89
कृषि अवसंरचना निधि	1	2401, 2552	500.00	150.00	147.12
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को शिशु ऋण (सब्सिडी) के शीघ्र भुगतान के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज छूट पर सब्सिडी	32	2885	0.01		0.00
कुल ब्याज सहायिकियां			**24723.11**	**37536.27**	**41675.87**
अन्य सहायिकियां --------					
चीनी के 40 एलएमटी कर स्टॉक बनाने तथा उसकी देखरेख हेतु स्कीम	15	2408		0.42	0.09
2018-19 की अवधि के लिए चीनी मिलों की सहायता हेतु स्कीम	15	2408		1.50	0.00
2019-20 की अवधि के लिए चीनी मिलों की सहायता हेतु स्कीम	15	2408		14.50	8.32

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
कृषि मंत्रालय में बाजार हस्तक्षेप स्कीम और मूल्य सहायता स्कीम (एमआईएस-पीएसएस)	1	2401, 2552	1500.00	1500.00	4007.00
परिवहन/भाड़ा सहायिकी स्कीम	11	2885	300.00	156.20	203.39
मूल्य स्थिरीकरण कोष	14	3456	1500.00	0.01	0.01
बाजार प्रचालन के लिए जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को सहायिकी	98	2852	45.00	32.20	27.91
मूल्य सहायता स्कीम के अंतर्गत कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति	98	2852	9243.09	780.71	678.99
पूर्वोत्तर औद्योगिकी एवं निवेश संवर्धन नीति	11	2885	20.00	90.00	109.97
जहाज निर्माण, अनुसंधान और विकास में सहायता	78	2852	112.00	104.00	58.04
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी राज्यों हेतु पैकेज	11	2885	29.50	15.90	9.08
चीनी का कर स्टॉक बनाने तथा उसकी देखरेख हेतु स्कीम	15	2408		3.00	3.00
एथनॉल का उत्पाद बढ़ाने एवं उसमें वृद्धि के लिए चीनी संबंधी वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु स्कीम	15	2408	300.00	259.83	175.00
निर्यात से संबंधित आंतरिक परिवहन, मालभाड़ा, देखरेख तथा अन्य प्रभारों पर आने वाले व्यय की अदायगी हेतु स्कीम	15	2408		0.25	0.00
कुल-अन्य सहायिकियां			**13049.59**	**2958.52**	**5280.80**

मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2022-23

(दर्शाए गए आंकड़े और प्राप्तियों और वसूलियों के निवल आंकड़े हैं)

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
1	**कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण**	**110254.53**	**99877.01**
	राजस्व	110203.20	99868.91
	पूंजीगत	51.33	8.10
2	**कृषि अनुसंधान और शिक्षा**	**8658.89**	**8399.72**
	राजस्व	8658.89	8399.72
	पूंजीगत	0.00	0.00
3	**परमाणु ऊर्जा**	**25965.67**	**24641.61**
	राजस्व	12824.97	10809.23
	पूंजीगत	13140.70	13832.38
4	**आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)**	**2845.75**	**2448.23**
	राजस्व	2845.75	2448.23
	पूंजीगत	0.00	0.00
5	**रसायन और पेट्रो रसायन**	**150.68**	**143.94**
	राजस्व	150.68	143.94
	पूंजीगत	0.00	0.00
6	**उर्वरक**	**225261.62**	**251369.17**
	राजस्व	225261.62	251369.17
	पूंजीगत	0.00	0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
7	**औषध निर्माण**	**2268.54**	**2050.06**
	राजस्व	2263.24	2044.80
	पूंजीगत	5.30	5.26
8	**नागर विमानन**	**9363.70**	**9320.85**
	राजस्व	9277.24	9234.41
	पूंजीगत	86.46	86.44
9	**कोयला**	**117.88**	**103.46**
	राजस्व	117.88	103.46
	पूंजीगत	0.00	0.00
10	**वाणिज्य**	**6456.00**	**7053.93**
	राजस्व	6056.00	6658.93
	पूंजीगत	400.00	395.00
11	**उद्योग और औद्योगिक व्यापार संवर्धन**	**6725.01**	**5946.87**
	राजस्व	5362.57	4348.59
	पूंजीगत	1362.44	1598.28
12	**डाक**	**23656.44**	**22015.10**
	राजस्व	22162.42	20538.43
	पूंजीगत	1494.02	1476.67
13	**दूरसंचार**	**81821.11**	**118960.54**
	राजस्व	44575.22	64231.92
	पूंजीगत	37245.89	54728.62

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
14	**उपभोक्ता मामले**	**219.55**	**209.49**
	राजस्व	192.93	183.85
	पूंजीगत	26.62	25.64
15	**खाद्य और सार्वजनिक वितरण**	**296303.83**	**283744.53**
	राजस्व	294274.13	281733.05
	पूंजीगत	2029.70	2011.48
16	**सहकारिता**	**1624.74**	**1636.52**
	राजस्व	1459.74	1471.74
	पूंजीगत	165.00	164.78
17	**कारपोरेट कार्य**	**630.36**	**568.61**
	राजस्व	594.86	563.01
	पूंजीगत	35.50	5.60
18	**संस्कृति**	**3363.07**	**3275.49**
	राजस्व	3274.91	3204.45
	पूंजीगत	88.16	71.04
19	**रक्षा (विविध)**	**21876.13**	**44456.84**
	राजस्व	13897.34	36500.87
	पूंजीगत	7978.79	7955.97
20	**रक्षा सेवाएं (राजस्व)**	**259500.48**	**232294.33**
	राजस्व	259500.48	232294.33
	पूंजीगत	0.00	0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
21	**रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय**	**150000.00**	**142940.01**
	राजस्व	0.00	0.00
	पूंजीगत	150000.00	142940.01
22	**रक्षा पेंशन**	**153414.49**	**153406.90**
	राजस्व	153414.49	153406.90
	पूंजीगत	0.00	0.00
23	**पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास**	**2755.05**	**989.95**
	राजस्व	2017.32	653.67
	पूंजीगत	737.73	336.28
24	**पृथ्वी विज्ञान**	**2056.47**	**1568.85**
	राजस्व	1867.82	1480.56
	पूंजीगत	188.65	88.29
25	**स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता**	**59052.78**	**58639.54**
	राजस्व	59052.78	58639.54
	पूंजीगत	0.00	0.00
26	**उच्चतर शिक्षा**	**40828.35**	**38556.81**
	राजस्व	40810.34	38553.87
	पूंजीगत	18.01	2.94
27	**इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी**	**11719.95**	**8199.25**
	राजस्व	11443.49	7922.65
	पूंजीगत	276.46	276.60

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
28	**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन**	**2478.00**	**2389.30**
	राजस्व	2405.24	2316.88
	पूंजीगत	72.76	72.42
29	**विदेश**	**16972.79**	**16660.95**
	राजस्व	15789.10	15487.56
	पूंजीगत	1183.69	1173.39
30	**आर्थिक कार्य**	**11747.87**	**7276.94**
	राजस्व	6803.80	5710.73
	पूंजीगत	4944.07	1566.21
31	**व्यय**	**430.00**	**365.78**
	राजस्व	429.99	365.78
	पूंजीगत	0.01	0.00
32	**वित्तीय सेवाएं**	**4902.42**	**3160.62**
	राजस्व	1366.42	1174.62
	पूंजीगत	3536.00	1986.00
33	**लोक उद्यम**	**183.13**	**180.99**
	राजस्व	33.13	30.99
	पूंजीगत	150.00	150.00
34	**निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन**	**197.06**	**178.89**
	राजस्व	197.06	178.89
	पूंजीगत	0.00	0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
35	**राजस्व**	**131226.73**	**164576.93**
	राजस्व	131192.43	164547.95
	पूंजीगत	34.30	28.98
36	**प्रत्यक्ष कर-सीबीडीटी**	**9429.15**	**8868.78**
	राजस्व	8759.43	8452.15
	पूंजीगत	669.72	416.63
37	**अप्रत्यक्ष कर - सीबीआईसी**	**36687.44**	**33985.77**
	राजस्व	35749.44	33304.23
	पूंजीगत	938.00	681.54
38	**भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा**	**5647.12**	**5676.20**
	राजस्व	5488.91	5519.85
	पूंजीगत	158.21	156.35
39	**वित्त-ब्याज अदायगियां (विनियोग)**	**940651.02**	**928517.03**
	राजस्व	940651.02	928517.03
	पूंजीगत	0.00	0.00
40	**वित्त-ऋण की पुनर्अदायगी**	**0.00**	**0.00**
	राजस्व	0.00	0.00
	पूंजीगत	0.00	0.00
41	**पेंशन**	**67340.00**	**68066.14**
	राजस्व	67340.00	68066.14
	पूंजीगत	0.00	0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
42	**वित्त-राज्यों का अंतरण**	**270935.60**	**273393.35**
	राजस्व	185524.20	180688.82
	पूंजीगत	85411.40	92704.53
43	**मत्स्यपालन**	**1624.18**	**1294.39**
	राजस्व	1617.13	1292.11
	पूंजीगत	7.05	2.28
44	**पशुपालन और डेयरी**	**3105.17**	**2315.62**
	राजस्व	3082.05	2302.17
	पूंजीगत	23.12	13.45
45	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**	**1901.59**	**1409.94**
	राजस्व	1901.59	1409.94
	पूंजीगत	0.00	0.00
46	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**	**76370.40**	**73308.30**
	राजस्व	72788.26	70257.76
	पूंजीगत	3582.14	3050.54
47	**स्वास्थ्य अनुसंधान**	**2775.00**	**2422.76**
	राजस्व	2775.00	2422.76
	पूंजीगत	0.00	0.00
48	**भारी उद्योग**	**3220.33**	**2706.26**
	राजस्व	3176.36	2662.30
	पूंजीगत	43.97	43.96

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
49	**गृह मंत्रालय**	**4448.77**	**4235.69**
	राजस्व	4231.25	4021.47
	पूंजीगत	217.52	214.22
50	**गृह - मंत्रिमंडल**	**1352.86**	**1055.91**
	राजस्व	1176.51	961.13
	पूंजीगत	176.35	94.78
51	**गृह - पुलिस**	**119070.36**	**115640.12**
	राजस्व	110170.35	107434.11
	पूंजीगत	8900.01	8206.01
52	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	**5508.05**	**5502.74**
	राजस्व	5028.05	5032.21
	पूंजीगत	480.00	470.53
53	**चंडीगढ़**	**5131.12**	**5011.01**
	राजस्व	4778.65	4770.99
	पूंजीगत	352.47	240.02
54	**दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव**	**2475.00**	**2474.31**
	राजस्व	1545.90	1545.21
	पूंजीगत	929.10	929.10
55	**लद्दाख**	**5958.00**	**2869.03**
	राजस्व	2553.29	778.88
	पूंजीगत	3404.71	2090.15

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
56	**लक्षद्वीप**	**1322.43**	**1263.57**
	राजस्व	1204.03	1176.19
	पूंजीगत	118.40	87.38
57	**दिल्ली को अंतरण**	**977.02**	**960.49**
	राजस्व	977.01	960.49
	पूंजीगत	0.01	0.00
58	**जम्मू और कश्मीर और अंतरण**	**44538.13**	**44696.13**
	राजस्व	44538.13	44696.13
	पूंजीगत	0.00	0.00
59	**पुदुचेरी को अंतरण**	**3129.79**	**3129.77**
	राजस्व	3129.78	3129.77
	पूंजीगत	0.01	0.00
60	**आवासन और शहरी कार्य**	**74545.64**	**77310.23**
	राजस्व	50864.75	50432.46
	पूंजीगत	23680.89	26877.77
61	**सूचना और प्रसारण**	**4182.00**	**4020.18**
	राजस्व	4156.35	3994.53
	पूंजीगत	25.65	25.65
62	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण**	**14000.00**	**11962.07**
	राजस्व	13704.88	11794.44
	पूंजीगत	295.12	167.63

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
63	**पेयजल और स्वच्छता**	**60029.12**	**59655.49**
	राजस्व	60029.12	59655.49
	पूंजीगत	0.00	0.00
64	**श्रम और रोजगार**	**16117.65**	**14794.89**
	राजस्व	16070.34	14757.37
	पूंजीगत	47.31	37.52
65	**विधि और न्याय**	**3318.46**	**6123.17**
	राजस्व	1797.46	4931.93
	पूंजीगत	1521.00	1191.24
66	**निर्वाचन आयोग**	**327.24**	**314.25**
	राजस्व	320.24	319.25
	पूंजीगत	7.00	-5.00
67	**भारत का उच्चतम न्यायालय**	**405.47**	**392.78**
	राजस्व	405.47	392.78
	पूंजीगत	0.00	0.00
68	**सूक्ष्म, लघु और उद्यम**	**15628.71**	**23540.94**
	राजस्व	15171.31	23134.61
	पूंजीगत	457.40	406.33
69	**खान**	**1689.95**	**1579.16**
	राजस्व	1628.76	1520.94
	पूंजीगत	61.19	58.22

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
70	**अल्पसंख्यक कार्य**	**2612.66**	**802.69**
	राजस्व	2453.66	643.69
	पूंजीगत	159.00	159.00
71	**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा**	**7033.00**	**7563.37**
	राजस्व	7019.26	7549.90
	पूंजीगत	13.74	13.47
72	**पंचायती राज**	**905.77**	**901.18**
	राजस्व	905.77	901.18
	पूंजीगत	0.00	0.00
73	**संसदीय कार्य**	**65.96**	**52.20**
	राजस्व	65.96	52.20
	पूंजीगत	0.00	0.00
74	**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन**	**2320.37**	**2276.66**
	राजस्व	1987.03	1982.74
	पूंजीगत	333.34	293.92
75	**केन्द्रीय सतर्कता आयोग**	**43.46**	**43.16**
	राजस्व	43.46	43.16
	पूंजीगत	0.00	0.00
76	**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस**	**33883.55**	**30912.71**
	राजस्व	33843.54	30912.71
	पूंजीगत	40.01	0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
77	**योजना**	**1031.53**	**847.14**
	राजस्व	1011.23	846.84
	पूंजीगत	20.30	0.30
78	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**	**1793.37**	**1687.71**
	राजस्व	1120.11	1009.30
	पूंजीगत	673.26	678.41
79	**विद्युत**	**13106.58**	**9312.98**
	राजस्व	13083.46	9289.87
	पूंजीगत	23.12	23.11
80	**राष्ट्रपति का सचिवालय**	**84.80**	**80.36**
	राजस्व	84.80	80.36
	पूंजीगत	0.00	0.00
81	**लोक सभा**	**743.00**	**666.53**
	राजस्व	743.00	666.53
	पूंजीगत	0.00	0.00
82	**राज्य सभा**	**445.74**	**383.18**
	राजस्व	445.74	383.18
	पूंजीगत	0.00	0.00
83	**सचिवालय - उप-राष्ट्रपति**	**8.64**	**8.31**
	राजस्व	8.64	8.31
	पूंजीगत	0.00	0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
84	**संघ लोक सेवा आयोग**	**370.00**	**369.71**
	राजस्व	370.00	369.71
	पूंजीगत	0.00	0.00
85	**रेलवे**	**162311.90**	**162410.12**
	राजस्व	3211.90	3153.97
	पूंजीगत	159100.00	159256.15
86	**सड़क परिवहन और राजमार्ग**	**217026.62**	**217089.48**
	राजस्व	10723.80	11103.53
	पूंजीगत	206302.82	205985.95
87	**ग्रामीण विकास**	**181121.80**	**176837.39**
	राजस्व	181121.80	176837.39
	पूंजीगत	0.00	0.00
88	**भू-संसाधन**	**1260.00**	**1002.32**
	राजस्व	1260.00	1002.32
	पूंजीगत	0.00	0.00
89	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी**	**4904.97**	**4436.26**
	राजस्व	4862.85	4396.23
	पूंजीगत	42.12	40.03
90	**जैव प्रौद्योगिकी**	**2192.92**	**2044.75**
	राजस्व	2192.92	2044.75
	पूंजीगत	0.00	0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
91	**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान**	**5941.61**	**5852.13**
	राजस्व	5937.61	5850.63
	पूंजीगत	4.00	1.50
92	**कौशल विकास एवं उद्यमिता**	**1901.71**	**1371.00**
	राजस्व	1829.64	1311.43
	पूंजीगत	72.07	59.57
93	**सामाजिक न्याय और अधिकारिता**	**11659.94**	**7413.74**
	राजस्व	11549.91	7360.58
	पूंजीगत	110.03	53.16
94	**दिव्यांगजन सशक्तीकरण**	**1015.98**	**985.58**
	राजस्व	1015.98	985.58
	पूंजीगत	0.00	0.00
95	**अंतरिक्ष**	**10530.04**	**10139.43**
	राजस्व	5976.89	5886.00
	पूंजीगत	4553.15	4253.43
96	**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन**	**5177.09**	**3712.43**
	राजस्व	5165.36	3704.59
	पूंजीगत	11.73	7.84
97	**इस्पात**	**57.72**	**46.04**
	राजस्व	57.72	46.04
	पूंजीगत	0.00	0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
98	**वस्त्र**	**3579.61**	**3309.15**
	राजस्व	3548.08	3279.06
	पूंजीगत	31.53	30.09
99	**पर्यटन**	**1343.13**	**681.71**
	राजस्व	1343.13	681.71
	पूंजीगत	0.00	0.00
100	**जनजातीय कार्य**	**7301.00**	**7273.53**
	राजस्व	7281.00	7253.53
	पूंजीगत	20.00	20.00
101	**महिला एवं बाल विकास**	**23912.69**	**23994.05**
	राजस्व	23910.69	23994.05
	पूंजीगत	2.00	0.00
102	**युवा कार्यक्रम और खेल**	**2673.35**	**2545.70**
	राजस्व	2671.35	2543.70
	पूंजीगत	2.00	2.00
	केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग		
	कुल	***4187232.35***	***4193157.18***
	राजस्व	***3458958.79***	***3453132.04***
	पूंजीगत	***728273.56***	***740025.14***

परिशिष्ट-9

ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्यौरा

(₹ करोड़)

वर्ष	राशि
मार्च, 2024 तक परिपक्वता	432275.20
2024-2025 में परिपक्वता	409535.88
2025-2026 में परिपक्वता	533497.05
2026-2027 में परिपक्वता	645847.88
2027-2028 में परिपक्वता	602176.77
2028-2029 में परिपक्वता	312755.64
2029-2030 में परिपक्वता	526121.78
2030-2031 में परिपक्वता	735476.62
2031-2032 में परिपक्वता	557958.48
2032-2033 में परिपक्वता	510175.10
2033-2034 में परिपक्वता	480313.94
2034-2035 में परिपक्वता	406405.65
2035-2036 में परिपक्वता	503803.25
2036-2037 में परिपक्वता	287000.00
2038-2039 में परिपक्वता	10000.00
2039-2040 में परिपक्वता	41150.90
2040-2041 में परिपक्वता	92941.19
2041-2042 में परिपक्वता	91771.39
2042-2043 में परिपक्वता	105699.94
2043-2044 में परिपक्वता	116472.28
2044-2045 में परिपक्वता	97000.00
2045-2046 में परिपक्वता	98000.00
2046-2047 में परिपक्वता	100000.00
2049-2050 में परिपक्वता	84000.00
2050-2051 में परिपक्वता	248960.69
2051-2052 में परिपक्वता	307525.00
2055-2056 में परिपक्वता	100969.24
2059-2060 में परिपक्वता	83461.95
2060-2061 में परिपक्वता	347135.86
2061-2062 में परिपक्वता	256785.37
कुल	**9125217.06**

परिशिष्ट-10

वर्ष 2022-23 के लिए ₹100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	123960.82	..	101564.44	..	22396.38	..
3	परमाणु ऊर्जा	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	19664.05	15825.11	18785.78	15683.70	878.27	141.41
4	आयुष मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	3050.02	..	2663.30	..	386.72	..
7	औषण विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	2263.25	..	2043.04	..	220.21	..
8	नागर विमानन मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	10590.57	..	9235.09	..	1355.48	..
10	वाणिज्य विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	6797.51	..	6686.02	..	111.49	..
11	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	7048.06	..	4357.58	..	2690.48	..
13	दूरसंचार विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	71157.80	63745.79	66255.44	56227.49	4902.36	7518.30
14	उपभोक्ता मामले विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	1742.53	..	224.08	..	1518.45	..
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	294278.19	..	281763.48	..	12514.71	..
16	सहकारिता मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	1891.03	..	1471.74	..	419.29	..

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
17	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	712.53	..	583.09	..	129.44	..
19	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	37126.65	12090.02	36498.67	8035.37	627.98	4054.65
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	2140.06	784.72	777.43	341.28	1362.63	443.44
24	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	2207.99	450.00	1497.79	88.29	710.20	361.71
25	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	111549.40	..	96890.12	..	14659.28	..
26	उच्चतर शिक्षा विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	55073.04	..	53241.95	..	1831.09	..
27	इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	14232.03	388.02	8943.68	276.60	5288.35	111.42
28	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	3170.05	..	2765.33	..	404.72	..
29	विदेश मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	16290.35	1416.24	15510.56	1174.22	779.79	242.02
30	आर्थिक कार्य विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	7312.35	13189.93	6216.55	5917.16	1095.80	7272.77
31	व्यय विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	476.88	..	366.03	..	110.85	..
32	वित्तीय सेवाएं विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	..	6072.07	..	1986.00	..	4086.07
34	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	290.42	..	178.89	..	111.53	..

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
35	राजस्व विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	314259.29	..	314132.75	..	126.54	..
36	प्रत्यक्ष कर	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	8866.80	671.74	8459.05	417.80	407.75	253.94
37	अप्रत्यक्ष कर	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	39739.19	1400.02	33312.72	682.52	6426.47	717.50
39	*विनियोग-ब्याज अदायगियां*	..	..	..	..	..	..
	प्रभारित	*974833.67*	..	*972715.23*	..	*2118.44*	..
40	*विनियोग - ऋण की पुर्नअदायगी*	..	..	..	..	..	..
	प्रभारित	..	*7145830.12*	..	*7199701.13*	..	..
42	राज्यों को अंतरण	..	..	..	..	..	..
	प्रभारित	192108.00	32380.01	172759.68	28188.01	19348.32	4192.00
	स्वीकृत	43132.01	100000.02	17594.97	81195.35	25537.04	18804.67
43	मत्स्य पालन विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	2093.93	..	1358.28	..	735.65	..
44	पशुपालन और डेयरी विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	4263.95	..	2647.37	..	1616.58	..
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	2942.02	..	1455.13	..	1486.89	..
46	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	107825.50	5632.60	95934.88	3050.82	11890.62	2581.78
47	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	3200.67	..	2432.11	..	768.56	..
48	भारी उद्योग विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	3213.81	..	2668.58	..	545.23	..

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
49	गृह मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	7384.64	..	4073.42	..	3311.22	..
50	मंत्रिमंडल	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	1202.23	508.82	962.36	94.78	239.87	414.04
51	पुलिस	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	111480.38	10522.00	108290.18	8212.69	3190.20	2309.31
52	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	..	587.42	..	471.70	..	115.72
54	दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	2952.96	..	1564.32	..	1388.64	..
55	लद्दाख	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	2553.37	3404.85	2089.72	2090.15	463.65	1314.70
56	लक्षद्वीप	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	..	221.91	..	87.45	..	134.46
57	दिल्ली स्थानांतरण	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	1168.00	..	960.49	..	207.51	..
60	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	51552.74	27303.06	50624.45	26846.36	928.29	456.70
61	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	4156.36	..	3998.48	..	157.88	..
62	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	18608.22	438.84	12020.06	181.42	6588.16	257.42
63	पेयजल और स्वच्छता विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	134413.14	..	59790.44	..	74622.70	..
64	श्रम और रोजगार मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	16846.38	..	14763.09	..	2083.29	..

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
65	विधि और न्याय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	..	1615.00	..	1191.24	..	423.76
70	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	4861.50	..	678.68	..	4182.82	..
71	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	12557.27	..	11107.67	..	1449.60	..
74	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	2087.68	..	1969.56	..	118.12	..
76	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	33843.56	600.00	30912.71	..	2930.85	600.00
78	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	1508.29	843.97	1389.89	740.44	118.40	103.53
79	विद्युत मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	18421.14	..	10210.44	..	8210.70	..
81	लोक सभा	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	799.00	..	665.64	..	133.36	..
86	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	22594.20	409981.88	21144.06	407850.67	1450.14	2131.21
87	ग्रामीण विकास विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	337943.79	..	331820.80	..	6122.99	..
88	भू-संसाधन विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	2259.37	..	1259.13	..	1000.24	..
89	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	5919.51	..	4519.96	..	1399.55	..
90	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	..	..	..	..	..	..

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	स्वीकृत	2581.02	..	2121.42	..	459.60	..
92	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	2847.55	..	1328.28	..	1519.27	..
93	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	12787.51	243.17	7716.72	53.17	5070.80	190.00
94	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	1212.42	..	989.35	..	223.07	..
95	अंतरिक्ष विभाग	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	6233.82	7465.22	5897.95	4259.44	335.87	3205.78
96	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	5378.09	..	3708.46	..	1669.63	..
98	वस्त्र मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	12357.16	..	3349.12	..	9008.04	..
100	जनजातीय कार्य मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	पूंजीगत	*4620.35*	..	*4026.65*	..	*593.70*	..
	स्वीकृत	3791.53	..	3232.12	..	559.41	..
101	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	25670.30	..	24012.07	..	1658.23	..
102	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय	..	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	3057.31	..	2566.49	..	490.82	..

परिशिष्ट-11

2022-23 के लिए विनियोग लेखा सारांश

(₹ हजार)

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1 कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग								
स्वीकृत	123960,82,00	39,26,00	101564,44,02	8,09,64	22396,37,98	31,16,36	..	..
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग								
स्वीकृत	8658,91,00	..	8578,15,01	..	80,75,99	..	..	..
3 परमाणु ऊर्जा								
प्रभारित	*19,00,00*	..	*17,82,81*	..	*1,17,19*	..	..	..
स्वीकृत	19664,05,00	15825,11,00	18785,77,72	15683,70,26	878,27,28	141,40,74	..	..
4 आयुष मंत्रालय								
स्वीकृत	3050,02,00	..	2663,30,16	..	386,71,84	..	..	..
5 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग								
स्वीकृत	207,68,00	1,33,00	143,95,75	..	63,72,25	1,33,00	..	..
6 उर्वरक विभाग								
स्वीकृत	254856,49,00	5,00	254841,42,77	..	15,06,23	5,00	..	..
7 औषध विभाग								
प्रभारित	*1,81,00*	..	*1,80,00*	..	*1,00*	..	..	..
स्वीकृत	2263,25,00	5,30,00	2043,03,88	5,26,00	220,21,12	4,00	..	..
8 नागर विमानन मंत्रालय								
स्वीकृत	10590,57,00	86,46,00	9235,09,26	86,44,00	1355,47,74	2,00	..	..
9 कोयला मंत्रालय								
स्वीकृत	547,89,00	..	497,05,90	..	50,83,10	..	..	..
10 वाणिज्य विभाग								
प्रभारित	*50,00*	..	..	..	*50,00*	..	..	..
स्वीकृत	6797,51,00	400,01,00	6686,02,22	395,00,00	111,48,78	5,01,00	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
11 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग								
प्रभारित	*30,00*	..	*29,46*	..	*54*	..	..	..
स्वीकृत	7048,06,00	1598,43,00	4357,57,54	1598,27,57	2690,48,46	15,43	..	..
13 दूरसंचार विभाग								
प्रभारित	*25,00,00*	*1,14,00*	*25,00,00*	*1,12,86*	..	*1,14*	..	..
स्वीकृत	71157,80,00	63745,79,00	66255,44,06	56227,49,06	4902,35,94	7518,29,94	..	..
14 उपभोक्ता मामले विभाग								
स्वीकृत	1742,53,00	26,62,00	224,08,23	25,64,11	1518,44,77	97,89	..	..
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग								
स्वीकृत	294278,19,00	12032,91,00	281763,48,14	12011,48,00	12514,70,86	21,43,00	..	..
16 सहकारिता मंत्रालय								
स्वीकृत	1891,03,00	165,01,00	1471,74,30	164,78,10	419,28,70	22,90	..	..
17 कारपोरेट कार्य मंत्रालय								
स्वीकृत	712,53,00	40,50,00	583,08,68	5,60,29	129,44,32	34,89,71	..	..
18 संस्कृति मंत्रालय								
स्वीकृत	3274,93,00	88,17,00	3213,07,83	71,04,12	61,85,17	17,12,88	..	..
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)								
प्रभारित	*2,93,00*	*35,00,00*	*2,20,61*	*30,91,73*	*72,39*	*4,08,27*	..	..
स्वीकृत	37126,65,00	12090,02,00	36498,66,54	8035,37,42	627,98,46	4054,64,58	..	..
22 रक्षा पेंशन								
प्रभारित	*7,77,00*	..	*1,30,96*	..	*6,46,04*	..	..	..
स्वीकृत	153412,61,00	..	153405,58,82	..	7,02,18	..	..	..
23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय								
स्वीकृत	2140,06,00	784,72,00	777,42,88	341,27,89	1362,63,12	443,44,11	..	..
24 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय								
स्वीकृत	2207,99,00	450,00,00	1497,78,63	88,28,89	710,20,37	361,71,11	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
25 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग								
स्वीकृत	111549,40,00	..	96890,11,74	..	14659,28,26	..	..	..
26 उच्चतर शिक्षा विभाग								..
स्वीकृत	55073,04,00	18,02,00	53241,95,47	2,94,32	1831,08,53	15,07,68	..	..
27 इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय								
स्वीकृत	14232,03,00	388,02,00	8943,68,35	276,60,26	5288,34,65	111,41,74	..	..
28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय								
स्वीकृत	3170,05,00	115,03,00	2765,33,02	72,41,98	404,71,98	42,61,02	..	..
29 विदेश मंत्रालय								
प्रभारित	*3,00*	..	..	..	*3,00*	..	..	..
स्वीकृत	16290,35,00	1416,24,00	15510,56,41	1174,21,78	779,78,59	242,02,22	..	..
30 आर्थिक कार्य विभाग								
स्वीकृत	7312,35,00	13189,93,00	6216,54,63	5917,16,39	1095,80,37	7272,76,61	..	..
31 व्यय विभाग								
स्वीकृत	476,88,00	1,00	366,03,15	..	110,84,85	1,00	..	..
32 वित्तीय सेवाएं विभाग								
प्रभारित	*65,00*	..	*64,95*	..	*5*	..	..	..
स्वीकृत	1364,20,00	6072,07,00	1351,05,93	1986,00,00	13,14,07	4086,07,00	..	..
33 लोक उद्यम विभाग								
स्वीकृत	33,00,00	150,00,00	31,18,37	150,00,00	1,81,63	..	..	..
34 निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएम) विभाग								
स्वीकृत	290,42,00	..	178,88,97	..	111,53,03	..	..	..
35 राजस्व विभाग								
स्वीकृत	314259,29,00	34,30,00	314132,74,52	28,98,28	126,54,48	5,31,72	..	..
36 प्रत्यक्ष कर								
स्वीकृत	8866,80,00	671,74,00	8459,05,10	417,80,22	407,74,90	253,93,78	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
37 अप्रत्यक्ष कर								
स्वीकृत	39739,19,00	1400,02,00	33312,71,97	682,52,11	6426,47,03	717,49,89	. .	. .
38 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग								
प्रभारित	*229,07,00*	. .	*225,13,62*	. .	*3,93,38*	. .	. .	. .
स्वीकृत	5723,49,00	158,21,00	5645,88,82	156,34,58	77,60,18	1,86,42	. .	. .
39 विनियोग-ब्याज अदायगियां								
प्रभारित	*974833,67,00*	. .	*972715,22,77*	. .	*2118,44,23*	. .	. .	. .
40 विनियोग-ऋण की पुर्नअदायगी								
प्रभारित	. .	*7145830,12,00*	. .	*7199701,12,97*	. .	. .	. .	*53871,00,97 (53871009,68,87)*
41 पेंशन								
प्रभारित	*400,00,00*	. .	*367,16,48*	. .	*32,83,52*	. .	. .	. .
स्वीकृत	67940,00,00	. .	67903,55,84	. .	36,44,16	. .	. .	. .
42 राज्यों को अंतरण								
प्रभारित	*192108,00,00*	*32380,01,00*	*172759,67,99*	*28188,00,53*	*19348,32,01*	*4192,00,47*	. .	. .
स्वीकृत	43132,01,00	100000,02,00	17594,96,73	81195,34,62	25537,04,27	18804,67,38	. .	. .
43 मत्स्यपालन विभाग								
स्वीकृत	2093,93,00	24,57,00	1358,28,16	2,27,62	735,64,84	22,29,38	. .	. .
44 पशुपालन और डेयरी विभाग								
स्वीकृत	4263,95,00	56,04,00	2647,37,46	13,45,29	1616,57,54	42,58,71	. .	. .
45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय								
स्वीकृत	2942,02,00	. .	1455,13,21	. .	1486,88,79	. .	. .	. .
46 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग								
स्वीकृत	107825,50,00	5632,60,00	95934,87,77	3050,81,91	11890,62,23	2581,78,09	. .	. .
47 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग								
स्वीकृत	3200,67,00	. .	2432,10,62	. .	768,56,38	. .	. .	. .
48 भारी उद्योग विभाग								
स्वीकृत	3213,81,00	92,22,00	2668,57,84	43,96,44	545,23,16	48,25,56	. .	. .

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
49 गृह मंत्रालय								
प्रभारित	*3,00*	..	..	..	*3,00*	..	..	..
स्वीकृत	7384,64,00	236,41,00	4073,42,26	214,21,84	3311,21,74	22,19,16	..	..
50 मंत्रिमंडल								
स्वीकृत	1202,23,00	508,82,00	962,36,40	94,77,95	239,86,60	414,04,05	..	..
51 पुलिस								
प्रभारित	*7,78,00*	*6,70,00*	*3,08,14*	*3,72,01*	*4,69,86*	*2,97,99*	..	..
स्वीकृत	111480,38,00	10522,00,00	108290,18,44	8212,68,64	3190,19,56	2309,31,36	..	..
52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह								
प्रभारित	*1,00*	..	*99*	..	*1*	..	..	..
स्वीकृत	5176,54,00	587,42,00	5086,98,26	471,69,73	89,55,74	115,72,27	..	..
53 चंडीगढ़								
प्रभारित	*37,90,00*	*1,00,00*	*37,65,01*	..	*24,99*	*1,00,00*	..	..
स्वीकृत	5268,77,00	538,40,00	5268,70,77	472,44,49	6,23	65,95,51	..	..
54 दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव								
स्वीकृत	2952,96,00	929,16,00	1564,31,98	929,09,82	1388,64,02	6,18	..	..
55 लद्दाख								
स्वीकृत	2553,37,00	3404,85,00	2089,72,38	2090,15,26	463,64,62	1314,69,74	..	..
56 लक्षद्वीप								
स्वीकृत	1235,55,00	221,91,00	1195,92,09	87,44,58	39,62,91	134,46,42	..	..
57 दिल्ली को अंतरण								
स्वीकृत	1168,00,00	1,00	960,49,04	..	207,50,96	1,00	..	..
58 जम्मू और कश्मीर को अंतरण								
स्वीकृत	44696,13,00	..	44696,13,00	..	..	..	..	..
59 पुदुचेरी को अंतरण								
स्वीकृत	3129,78,00	1,00	3129,77,00	..	1,00	1,00	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
60 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय								
प्रभारित	*117,36,00*	*39,93,00*	*113,00,15*	*32,86,47*	*4,35,85*	*7,06,53*	..	..
स्वीकृत	51552,74,00	27303,06,00	50624,44,92	26846,36,32	928,29,08	456,69,68	..	..
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय								
स्वीकृत	4156,36,00	25,65,00	3998,48,02	25,64,98	157,87,98	2	..	..
62 जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग								
स्वीकृत	18608,22,00	438,84,00	12020,06,18	181,42,13	6588,15,82	257,41,87	..	..
63 पेयजल और स्वच्छता विभाग								
स्वीकृत	134413,14,00	..	59790,44,15	..	74622,69,85	..	..	..
64 श्रम और रोजगार मंत्रालय								
स्वीकृत	16846,38,00	47,31,00	14763,08,52	37,52,30	2083,29,48	9,78,70	..	..
65 विधि और न्याय								
स्वीकृत	5174,22,00	1615,00,00	5132,07,18	1191,23,57	42,14,82	423,76,43	..	..
66 निर्वाचन आयोग								
स्वीकृत	320,24,00	7,01,00	320,23,21	..	79	7,01,00	..	..
67 *विनियोग- भारत का उच्चतम न्यायालय*								
प्रभारित	*405,47,00*	..	*392,78,22*	..	*12,68,78*	..	..	..
68 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम								
स्वीकृत	23222,23,00	506,00,00	23177,55,55	406,33,17	44,67,45	99,66,83	..	..
69 खान मंत्रालय								
स्वीकृत	1698,74,00	61,21,00	1686,87,46	58,22,04	11,86,54	2,98,96	..	..
70 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय								
स्वीकृत	4861,50,00	159,00,00	678,67,59	159,00,00	4182,82,41	..	..	..
71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय								
स्वीकृत	12557,27,00	13,74,00	11107,67,44	13,46,85	1449,59,56	27,15	..	..
72 पंचायती राज मंत्रालय								
स्वीकृत	905,78,00	..	901,17,81	..	4,60,19	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
73 संसदीय कार्य मंत्रालय								
स्वीकृत	66,40,00	..	52,20,21	..	14,19,79	..	..	..
74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय								
प्रभारित	*24,23,00*	*177,46,00*	*17,10,84*	*177,45,83*	*7,12,16*	*17*	..	..
स्वीकृत	2087,68,00	213,31,00	1969,56,21	116,45,82	118,11,79	96,85,18	..	..
75 *विनियोग-केन्द्रीय सतर्कता आयोग*								
प्रभारित	*43,46,00*	..	*43,16,48*	..	*29,52*	..	..	..
76 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय								
स्वीकृत	33843,56,00	600,00,00	30912,71,21	..	2930,84,79	600,00,00	..	..
77 योजना मंत्रालय								
स्वीकृत	939,55,00	20,75,00	848,81,11	29,80	90,73,89	20,45,20	..	..
78 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय								
स्वीकृत	1508,29,00	843,97,00	1389,89,08	740,44,28	118,39,92	103,52,72	..	..
79 विद्युत मंत्रालय								
स्वीकृत	18421,14,00	23,11,00	10210,44,22	23,11,00	8210,69,78	..	..	..
80 *विनियोग- राष्ट्रपति का कर्मचारी वृंद, गृह और भत्ते*								
प्रभारित	*84,80,00*	..	*80,38,09*	..	*4,41,91*	..	..	..
81 लोक सभा								
प्रभारित	*1,02,00*	..	*92,85*	..	*9,15*	..	..	..
स्वीकृत	799,00,00	..	665,63,79	..	133,36,21	..	..	..
82 राज्य सभा								
प्रभारित	*1,96,00*	..	*1,73,72*	..	*22,28*	..	..	..
स्वीकृत	429,75,00	..	381,78,60	..	47,96,40	..	..	..
83 उप-राष्ट्रपति का सचिवालय								
स्वीकृत	8,64,00	..	8,30,76	..	33,24	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
84 *विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग*								
प्रभारित	*370,00,00*	..	*369,99,08*	..	*92*	..	..	..
86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय								
प्रभारित	..	*5,00,00*	..	*36,69*	..	*4,63,31*	..	..
स्वीकृत	22594,20,00	409981,88,00	21144,05,97	407850,66,51	1450,14,03	2131,21,49	..	..
87 ग्रामीण विकास विभाग								
स्वीकृत	337943,79,00	..	331820,80,00	..	6122,99,00	..	..	..
88 भू-संसाधन विभाग								
प्रभारित	*10,25,00*	..	..	..	*10,25,00*	..	..	..
स्वीकृत	2259,37,00	..	1259,13,31	..	1000,23,69	..	..	..
89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग								
प्रभारित	*2,00*	..	..	..	*2,00*	..	..	..
स्वीकृत	5919,51,00	82,70,00	4519,96,30	40,02,61	1399,54,70	42,67,39	..	..
90 जैव प्रौद्योगिकी विभाग								
स्वीकृत	2581,02,00	..	2121,42,21	..	459,59,79	..	..	..
91 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग								
स्वीकृत	5937,62,00	12,51,00	5851,86,56	1,50,00	85,75,44	11,01,00	..	..
92 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय								
स्वीकृत	2847,55,00	151,46,00	1328,27,83	59,57,41	1519,27,17	91,88,59	..	..
93 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग								
स्वीकृत	12787,51,00	243,17,00	7716,71,50	53,17,00	5070,79,50	190,00,00	..	..
94 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग								
स्वीकृत	1212,42,00	1,00	989,35,16	..	223,06,84	1,00	..	..
95 अंतरिक्ष विभाग								
प्रभारित	1,20,00	40,00	1,08,58	..	11,42	40,00	..	..
स्वीकृत	6233,82,00	7465,22,00	5897,94,99	4259,44,22	335,87,01	3205,77,78	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
96 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय								
स्वीकृत	5378,09,00	20,00,00	3708,46,44	7,84,48	1669,62,56	12,15,52	..	..
97 इस्पात मंत्रालय								
स्वीकृत	57,72,00	..	46,03,80	..	11,68,20	..	..	..
98 वस्त्र मंत्रालय								
स्वीकृत	12357,16,00	31,53,00	3349,12,39	30,09,43	9008,03,61	1,43,57	..	..
99 पर्यटन मंत्रालय								
स्वीकृत	2405,27,00	..	708,51,68	..	1696,75,32	..	..	..
100 जनजातीय कार्य मंत्रलाय								
प्रभारित	4620,35,00	..	4026,64,76	..	593,70,24	..	..	..
स्वीकृत	3791,53,00	50,00,00	3232,12,22	20,00,00	559,40,78	30,00,00	..	..
101 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय								
स्वीकृत	25670,30,00	2,00,00	24012,07,03	..	1658,22,97	2,00,00	..	..
102 युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय								
स्वीकृत	3057,31,00	5,32,00	2566,49,49	1,99,97	490,81,51	3,32,03	..	..
कुल ***प्रभारित***	***1173354,57,00***	***7178476,76,00***	***1151203,86,56***	***7228135,59,09***	***22150,70,44***	***4212,17,88***	..	***53871,00,97 (53871009,68,87)***
स्वीकृत	**2790285,32,00**	**703671,48,00**	**2522357,38,14**	**644614,97,35**	**267927,93,86**	**59056,50,65**	..	..

परिशिष्ट-12

वर्ष 2022-23 के लिए वस्तु शीर्षवार व्यय

(₹ करोड़)

वस्तु शीर्ष	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	कुल
01	वेतन	249,474.10	7,348.44	256,822.55
02	दिहाड़ी	1,695.33	16.71	1,712.05
03	समयोपरि भत्ता	1,142.23	7.59	1,149.82
04	पेंशन प्रभार	280,989.15	124.19	281,113.33
05	पुरस्कार	159.19	0.00	159.19
06	चिकित्सा उपचार	7,594.10	24.74	7,618.84
11	घरेलू यात्रा खर्च	6,602.73	35.65	6,638.38
12	विदेश यात्रा खर्च	504.02	1.68	505.70
13	कार्यालय व्यय	13,009.14	42.61	13,051.76
14	किराया, दर और कर	4,132.58	2.83	4,135.41
16	प्रकाशन	593.22	0.00	593.22
20	अन्य प्रशासनिक खर्च	4,955.18	1.92	4,957.10
21	आपूर्तियां और सामग्री	78,114.29	18,965.69	97,079.98
22	हथियार और गोला बारूद	405.12	0.00	405.12
23	राशन की लागत	5,185.97	0.00	5,185.97
24	पी.ओ.एल.	3,863.85	2.41	3,866.26
25	क्लोदिंग और टेन्टेज	743.04	0.00	743.04
26	विज्ञापन और प्रचार	1,501.46	5.36	1,506.82
27	लघु कार्य	9,578.13	89.20	9,667.32
28	व्यावसायिक सेवाएं	13,932.95	390.20	14,323.15
30	अन्य संविदागत सेवाएं	15,078.80	24,484.51	39,563.32
31	सहायता अनुदान सामान्य	692,425.40	6.34	692,431.74
32	अंशदान	44,245.85	1,662.18	45,908.03
33	सहायिकी	611,668.90	0.00	611,668.90
34	छात्रवृत्ति / वृत्तिका	6,804.78	3.44	6,808.22

वस्तु शीर्ष	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	कुल
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियां बनाने के लिए अनुदान	306,222.88	41.10	306,263.98
36	सहायता अनुदान वेतन	50,487.68	0.00	50,487.68
41	गुप्त सेवा व्यय	333.42	0.00	333.42
42	एकमुश्त प्रावधान	0.20	0.00	0.20
43	उचंत	171.23	0.00	171.23
45	ब्याज	976,413.41	0.00	976,413.41
50	अन्य प्रभार	53,160.82	111,261.62	164,422.43
51	मोटर वाहन	6.25	1,231.83	1,238.08
52	मशीनरी और उपकरण	30.02	9,764.88	9,794.90
53	मुख्य कार्य	13.43	89,157.69	89,171.12
54	निवेश	0.00	184,276.09	184,276.09
55	ऋण तथा अग्रिम	0.00	142,058.25	142,058.25
56	उधार की पुर्नअदायगी	0.00	7,199,701.13	7,199,701.13
60	अन्य पूंजीगत व्यय	7.29	8,064.33	8,071.63
61	मूल्यह्रास	700.00	0.00	700.00
62	आरक्षित	2,704.69	0.00	2,704.69
63	अंतर लेखा अंतरण	506,921.09	234,710.78	741,631.87
64	बट्टे खाते डालना/हानियां	1.04	0.00	1.04
70	घटाएं वसूलियां	-432,107.38	-209,906.80	-642,014.18
कुल		**3,519,465.57**	**7,823,576.58**	**11,343,042.16**
वस्तु शीर्ष स्तर के अलावा दर्ज किया गया व्यय				
	रेलवे	0.00	0.00	0.00
	रक्षा	264,232.90	142,940.01	407,172.91
	संघ राज्य क्षेत्र सहित सिविल विभाग	0.00	0.00	0.00
जोड़		**264,232.90**	**142,940.01**	**407,172.91**
कुल जोड़		**3,783,698.47**	**7,966,516.59**	**11,750,215.07**